

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2015—ज्येष्ठ 1, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्र. ई 1-153-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

| क्र. | अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया |
|------|--|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री पी. नरहरि (2001) कलेक्टर, ग्वालियर. | कलेक्टर, इन्दौर | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--|--------------------------|
| 2 | श्री बी. चन्द्रशेखर (2002) कलेक्टर, झाबुआ. | कलेक्टर, रतलाम | - |
| 3 | श्री अशोक कुमार भार्गव (2002) कलेक्टर, शहडोल. | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन | - |
| 4 | डॉ. संजय गोयल (2003) कलेक्टर, रतलाम. | कलेक्टर, ग्वालियर | - |
| 5 | श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (2003) कलेक्टर, शाजापुर. | संचालक, तकनीकी शिक्षा | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. |
| 6 | श्री राजीव शर्मा (2004) उपसचिव, लोक निर्माण विभाग. | कलेक्टर, शाजापुर | - |
| 7 | श्री मुकेश कुमार शुक्ला (2004) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर. | कलेक्टर, शहडोल | - |
| 8 | श्रीमती अरूणा गुप्ता (2005) अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र. | कलेक्टर, झाबुआ | - |
| 9 | सुश्री प्रियंका दास (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी. | अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल. | उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन |
| 10 | श्री तरूण राठी (2010) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट. | उपसचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार). | - |

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्र. ई-5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) को दिनांक 27 मई से 15 जून 2015 तक बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय का प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) का प्रभार श्री गुलशन बामरा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं श्री गुलशन बामरा, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-813-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, आयएएस., संचालक, मध्यप्रदेश, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई.) को दिनांक 24 से 30 अप्रैल 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई.) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्र. ई-5-463-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. स्वाई, आयएएस., कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को दिनांक 1 से 12 मई 2015 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. स्वाई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. स्वाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-33-2015-5-एक.— भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2015 से भाप्रसे., (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3(1) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-पे बैंड (रुपये 15600—39100+7600) स्वीकृत किया जाता है।

| क्रमांक | अधिकारी का नाम |
|---------|--------------------------|
| 1 | डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े |
| 2 | श्री धनंजय सिंह भदौरिया |

(2) उपरोक्त भाप्रसे. अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-Non Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2015 में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में इन्हें अनिवार्यतः भाग लेना होगा।

भोपाल, दिनांक 1 मई 2015

क्र. ई 1-40-2014-5-एक.— नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे., अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

| क्रमांक | अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना | मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना | खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया |
|---------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री बी. पी. सिंह (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग. | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग. | अध्यक्ष, राजस्व मण्डल |

भोपाल, दिनांक 5 मई 2015

क्र. ई-5-559-आयएस-लीव-5-एक.—श्री आशीष उपाध्याय, आयएस., विकअ-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा दिनांक 6 से 25 अप्रैल 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 मई 2015

क्र. ई-1-39-2015-5-एक(ए).—श्री श्रीकांत बनोट, भाप्रसे. (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार (कनिष्ठ वेतनमान) को दिनांक 24 जुलाई 2014 से भाप्रसे., का वरिष्ठ समय वेतनमान (रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 6600) स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) धार पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-39-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे., के आवंटन वर्ष 2011 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2015 से भाप्रसे का वरिष्ठ समय वेतनमान (रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 6600) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

| क्र. | अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | सुश्री अनुग्रह पी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) उमरिया. |
| 2 | श्री बी. विजय दत्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) भिण्ड. |
| 3 | श्री मोहित बृंदस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) सीधी. |
| 4 | सुश्री नेहा मारव्या सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) जबलपुर. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| 5 | श्रीमती रूचिका चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) उज्जैन. |
| 6 | श्री सौरभ कुमार सुमन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) बैतूल. |
| 7 | श्री व्ही. एस. चौधरी कौलसानी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) अनूपपुर. |
| 8 | डॉ. विजय कुमार जे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंडला (कनिष्ठ वेतनमान). | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) मंडला. |

भोपाल, दिनांक 8 मई 2015

क्र. ई-5-486-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएस., राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश को दिनांक 1 से 10 जून 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-684-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 12 से 23 मई 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार श्री आशीष श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992) (पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमित राठौर द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष श्रीवास्तव खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 25 मई से 12 जून 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मई एवं 13, 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सुधा चौधरी, भाप्रसे., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती वीरा राणा, द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुधा चौधरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 8 से 14 मई 2015 तक सात दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री शिवराज सिंह वर्मा, राप्रसे. अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 20 से 27 मई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तथा स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-867-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे., संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, भोपाल को दिनांक 8 से 12 जून 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13, 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-942-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 18 मई से 3 जून 2015 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

क्र. एफ-ए-5-06-2015-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री शान्तनु केमकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

| अ. क्र. | अवकाश अवधि | कुल दिन | अवकाश का प्रकार | अभियुक्ति |
|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | दि. 18-3-2015 से दि. 19-3-2015 तक. | 02 | पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश. | - |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्र. ई-5-826-आयएस-लीव-5-एक.—श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएस., कलेक्टर, जिला नीमच को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल से 2 मई 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 मई 2015

क्र. ई-5-689-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएस., आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 23 मार्च से 4 अप्रैल 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 5 अप्रैल 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 30 मार्च से 4 अप्रैल 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्यांतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2015 अनुसार यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015

फा. क्र. 16-4-98-इक्कीस-ब (दो).—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, सुश्री सुषमा खोसला, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेती हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए नियुक्त करता है।

F. No. 16-04-98-XXI-B(2).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh, Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government hereby appoints Ku. Sushame Khosla, Retired Distt. Judge as a Judicial Member of the M.P. Arbitration Tribunal from the date she assumes charge for the period of five years or till she attains the age of sixty five years which ever is earlier.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2015

फा. क्र. 1(बी) 4-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2014 के द्वारा श्री देवीलाल धाकड, अधिवक्ता को अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर के पद पर नियुक्त किया गया था।

श्री देवीलाल धाकड, अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की आयु दिनांक 1 जनवरी 2015 को 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण, उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

पंजी. क्र. 1220-2015-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 10 मई 2000 द्वारा तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ में नियुक्त नोटरी, श्री के. के. भटनागर का दिनांक 16 जनवरी 2015 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. एफ-25-8-2007-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (बी) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक ई-1-152-2015-5-एक(ए), दिनांक 24 अप्रैल 2015 के अनुसरण में श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को आदेश जारी किये जाने की तिथि से आगामी आदेश तक एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

क्र. एफ-1(ए)-271-1986-ब-2-दो.—श्री अशोक दोहारे, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 मार्च से 13 अप्रैल 2015 तक, उन्तीस दिवस अर्जित अवकाश, 15 मार्च एवं 14 अप्रैल 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दोहारे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दोहारे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 मई 2015

क्र. एफ-1(ए) 89-2008-ब-2-दो.—श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे, सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को दिनांक 1 मई से 27 अक्टूबर 2015 तक, 180 दिवस प्रसूति अवकाश स्वीकृत

करते हुए 1 जून 2015 से खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर कोहिमा (नागालैण्ड) की अवकाश यात्रा सुविधा अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Smt. T. Amongla Aier | Self |
| 2. Mr. Nungshichuba Walling | Husband |
| 3. Ku. Nungshizen Walling | Doughter |
| 4. Baby | (Yet to be born) |

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री शियास ए, भापुसे, सेनानी 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ-1(ए) 29-2013-ब-2-दो.—श्री रियाज, इकबाल भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोन-2, जिला भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक, पांच दिवस पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014 के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर कोलम (केरल) की अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. श्री रियाज, इकबाल | — स्वयं |
| 2. श्रीमती दिव्या मोहन | — पत्नी |
| 3. कु. दिया रियाज | — पुत्री |

भोपाल, दिनांक 8 मई 2015

क्र. एफ-1(ए)-111-93-ब-2-दो.—श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर को दिनांक 18 मई से 17 जून 2015 तक, कुल इकतीस दिवस का चाईलड केयर अवकाश, दिनांक 16 एवं 17 मई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ-1(ए) 199-91-ब-2-दो.—समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, पी.टी.आर.आई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 25 मार्च 2015 तक, कुल चौदह दिवस का चाईलड केयर अवकाश, दिनांक 14-15 एवं 21-22 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में दिनांक 12 से 16 मार्च 2015 तक स्वीकृत चाईलड केयर में से 14, 15 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश को छोड़कर उनके द्वारा उपभोग न किये जाने के कारण शेष कुल तीन दिवस चाईलड केयर अवकाश निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 मई 2015

फा. क्र. 17(ई)29-2014-1167-इक्कीस-ब (एक)-15.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को उसके (सारणी के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों तथा स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल द्वारा अन्वेषित मामलों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

| अनुक्रमांक (1) | न्यायाधीश का नाम (2) | मुख्यालय का नाम (3) |
|-------------------|---|------------------------|
| 1. | श्री सुनील कुमार जैन (सीनि.), अपर सेशन न्यायाधीश, जबलपुर | जबलपुर |
| 2. | श्री दिलीप कुमार मिश्र, अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर | इन्दौर |
| 3. | श्री सतीशचन्द्र शर्मा (जूनि.), अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर | ग्वालियर |
| 4. | श्री अरुण कुमार सिंह, छठवें अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा | रीवा |
| 5. | श्री प्रकाश चन्द्र, अपर सेशन न्यायाधीश, खंडवा | खंडवा |
| 6. | श्री राकेश मोहन प्रधान, चौथे अपर सेशन न्यायाधीश, मुरैना | मुरैना |
| 7. | श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, दमोह | दमोह |
| 8. | श्री राम गोपाल सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश, छतरपुर | छतरपुर |
| 9. | श्री पी. सी. गुप्ता, अपर सेशन न्यायाधीश, गुना | गुना |
| 10. | श्री अजित सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश, सागर | सागर |
| 11. | श्री बी.एस. भदौरिया, अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल | भोपाल |
| 12. | श्री अरुण कुमार वर्मा, अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल | भोपाल |
| 13. | श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल | भोपाल |
| 14. | श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल | भोपाल |
| 15. | श्री धरमिन्दर सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर | ग्वालियर |
| 16. | श्री ललित किशोर, अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर | ग्वालियर |
| 17. | श्री अनिल कुमार सोहने, अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर | ग्वालियर |

F. No. 17(E) 29-2014-1167-XXI.-B-(One)15—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the table below to be Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences in various examinations conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board and investigated by Special Task Force, Bhopal:—

TABLE

| S. No. (1) | Name of Judge (2) | Head quarter (3) |
|---------------|--|---------------------|
| 1. | Shri Sunil Kumar Jain (Sr.) Additional Sessions Judge, Jabalpur | Jabalpur |
| 2. | Shri Dilip Kumar Mittal, Additional Sessions Judge, Indore | Indore |
| 3. | Shri Satish Chandra Sharma (Jr.), Additional Sessions Judge, Gwalior | Gwalior |
| 4. | Shri Arun Kumar Singh, VIth Additional Sessions Judge, Rewa | Rewa |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|------------|
| 5. | Shri Prakash Chandra, Additional Sessions Judge, Khandwa | Khandwa |
| 6. | Shri Rakesh Mohan Pradhan, IVth Additional Sessions Judge, Morena | Morena |
| 7. | Shri Devendra Deo Dwivedi, IInd Additional Sessions Judge, Damoh | Damoh |
| 8. | Shri Ram Gopal Singh, Additional Sessions Judge, Chhatarpur | Chhatarpur |
| 9. | Shri P.C. Gupta, Additional Sessions Judge, Guna | Guna |
| 10. | Shri Ajit Singh, Additional Sessions Judge, Sagar | Sagar |
| 11. | Shri B.S. Bhadoria, Additional Sessions Judge, Bhopal | Bhopal |
| 12. | Shri Arun Kumar Verma, Additional Sessions Judge, Bhopal | Bhopal |
| 13. | Shri Bhupendra Kumar Singh, Additional Sessions Judge, Bhopal | Bhopal |
| 14. | Shri Dinesh Prasad Mishra, Additional Sessions Judge, Bhopal | Bhopal |
| 15. | Shri Dharminder Singh, Additional Sessions Judge, Gwalior | Gwalior |
| 16. | Shri Lalit Kishore, Additional Sessions Judge, Gwalior | Gwalior |
| 17. | Shri Anil Kumar Sohane, Additional Sessions Judge, Gwalior | Gwalior |

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

फा. क्र. 17(ई) 8-2012-1268-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई) 8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

अनुक्रमांक 1, 5 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

| अनुक्रमांक | प्राधिकृत अधिकारी का नाम | अनुसूची | |
|------------|---|-----------------|--|
| | | मुख्यालय का नाम | अधिकारिता |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "1. | श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, द्वादश अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल. | भोपाल | राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन एवं राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र. |
| 5. | श्री शिव चरण पाण्डे, अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर. | ग्वालियर | राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड एवं दतिया का समाविष्ट क्षेत्र. |
| 8. | श्री अफसर जावेद खान, सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर. | इन्दौर | राजस्व जिला इन्दौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन (प. निमाड़) खंडवा (पूर्वी निमाड़), बड़वानी एवं बुरहानपुर का समाविष्ट क्षेत्र." |

F. No. 17(E) 8-2012-1268-XXI.-B-(1)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification

No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012:—

AMENDMENT

For serial numbers 1, 5 and 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:—

| S. No. | Name of Authorized Officer | Place of head quarter | Jurisdiction |
|--------|---|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “1. | Shri Upendra Pratap Singh, XIIth Additional Sessions Judge, Bhopal. | Bhopal | Area comprising Revenue Districts Bhopal, Raisen & Rajgarh. |
| 5. | Shri Shiv Charan Pandey, VIIIth Additional Sessions Judge, Gwalior. | Gwalior | Area comprising Revenue Districts Sheopur, Morena, Bhind & Datia. |
| 8. | Shri Afsar Javed Khan, VIIth Additional Sessions Judge, Indore. | Indore | Area comprising Revenue Districts Indore, Alirazpur, Jhabua, Khargone (West Nimar) Khandwa (East Nimar) Barwani & Burhanpur. |

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-1209-015.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

सारणी में, अनुक्रमांक 1, 6, 7, 12, 18, 26, 36, 44, 62, 63, 68, 70, 75, 77, 79, 85-ए, 97, 102, 103 एवं 106 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

सारणी

| अनुक्रमांक | सिविल जिले का नाम | विशेष न्यायालय का नाम | विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) |
|------------|-------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “1. | अलीराजपुर | प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर | अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र |
| 6. | बालाघाट | विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बालाघाट. | सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 7. | बालाघाट | द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बारासिवनी | बारासिवनी का विद्युत् क्षेत्र |
| 12. | भिण्ड | विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भिण्ड. | सिविल जिला भिण्ड का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 13 एवं 14 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|-----------------------|---|--|
| 18. | छतरपुर | द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, छतरपुर | सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 एवं 20 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 26. | देवास | चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश | सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26-ए 27 एवं 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 36. | गुना | विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, गुना. | सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 44. | पिपरिया होशंगाबाद. | अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया | पिपरिया का विद्युत् क्षेत्र |
| 62. | सबलगढ़ | प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़ | सबलगढ़ का विद्युत् क्षेत्र |
| 63. | जौरा, मुरैना | प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा | जौरा का विद्युत् क्षेत्र |
| 68. | पन्ना | प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना | सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 70. | रायसेन | चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन | सिविल जिला रायसेन का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 75. | रतलाम | चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रतलाम | सिविल जिला रतलाम का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 76 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 77. | रीवा | षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा | सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र. |
| 85-ए | अमरपाटन सतना. | प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन | अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट विद्युत् क्षेत्र. |
| 97. | श्योपुर | द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, श्योपुर | सिविल जिला श्योपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र |
| 102 | बैढ़न सिंगरौली. | प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैढ़न. | सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र |
| 103 | टीकमगढ़ | द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़ | सिविल जिला टीकमगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 103-ए तथा 103-बी के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर). |
| 106 | उमरिया | प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया | उमरिया का विद्युत् क्षेत्र |

F. No. 17(E) 83-03-XXI.-B-(1)-1209-015—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010:—

AMENDMENT

in the table, for serial number 1, 6, 7, 12, 18, 26, 36, 44, 62, 63, 68, 70, 75, 77, 85-A, 97, 102, 103 & 106 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted:—

TABLE

| S. No. (1) | Name of the Civil District (2) | Name of Special Court (3) | Territorial jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4) |
|---------------|--------------------------------------|--|---|
| “1. | Alirajpur | Ist Additional Sessions Judge, Alirajpur. | Electricity area of Alirajpur |
| 6. | Balaghat | Special Judge SC/ST (POA) Act, Balaghat. | All electricity area of Civil District Balaghat (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 7). |
| 7. | Balaghat | IInd Additional Sessions Judge, Waraseoni. | Electricity area of Waraseoni |
| 12. | Bhind | Special Judge, SC/ST (POA) Act, Bhind. | All electricity area of Civil District Bhind (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 13 & 14. |
| 18. | Chhatarpur | IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur. | All electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 19 & 20). |
| 26. | Dewas | IVth Additional Sessions Judge, Dewas. | All electricity area of Civil District Dewas (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 26-A, 27 & 28). |
| 36. | Guna | Special Judge, SC/ST (POA) Act, Guna. | All electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 37). |
| 44. | Piparia Hoshangabad. | Ist Additional Sessions Judge, Piparia. | Electricity area of Piparia |
| 62. | Sabalgarh | Ist Additional Sessions Judge, Sabalgarh. | Electricity area of Sabalgarh |
| 63. | Jora, Morena. | Ist Additional Sessions Judge, Jora. | Electricity area of Jora |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|--------------------|---|---|
| 68. | Panna | Ist Additional Sessions Judge, Panna. | All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 69). |
| 70. | Raisen | IVth Additional Sessions Judge, Raisen. | All electricity area of Civil District Raisen (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 71). |
| 75. | Ratlam | IVth Additional Sessions Judge, Ratlam. | All electricity area of Civil District Ratlam (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 76). |
| 77. | Rewa | VIth Additional Sessions Judge, Rewa. | All electricity area of South Division of Civil District Rewa. |
| 85-A | Amarpatan Satna. | Ist Additional Sessions Judge, Amarpatan. | Electricity area confined in Local Limits of Amarpatan. |
| 97. | Sheopur | IIInd Additional Sessions Judge, Sheopur. | All electricity area of Civil District Sheopur |
| 102. | Waidhan Singrauli. | AJ to the Court of Ist Additional Sessions Judge, Waidhan, Singrauli. | All electricity area of Civil District Singrauli |
| 103. | Tikamgarh | IIInd Additiaonal Sessions Judge, Tikamgarh. | All electricity area of Civil District Tikamgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 103-A & 103-B). |
| 106. | Umaria | Ist Additional Sessions Judge, Umaria. | electricity area of Umaria |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 मई 2015

रा.प्र. क्र. 09-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2015-3236.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत बैतूल-सारणी-टेकाढाना-परासिया मार्ग (राज्यमार्ग-43) के उन्नयन कार्य (टोल प्लाजा) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाए गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बैतूल-सारणी-टेकाढाना-परासिया मार्ग (राज्यमार्ग-43) के उन्नयन कार्य (टोल प्लाजा) निर्माण की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता | खसरा नम्बर | क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) | योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है |
|------------|---------|--|---|---------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| छिन्दवाड़ा | परासिया | ग्राम-इकलहरा ब.नं.-35 प.ह.नं.-44 रा.नि.मं.- परासिया. | 1. बटन बाई पुत्री प्रेम, निवासी थावरीडोमा, बंशी रेशम पिता राजाराम सुमरन पिता हंसू, फूलवति वि. बरकन राजू राकेश, दिनेश, महेश पिता बरकन ममता पुत्री बरकन जाति तेली, निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. | 630 | 0.202 सिंचित | बैतूल-सारणी-टेकाढाना-परासिया मार्ग (राज्य मार्ग-43) के उन्नयन कार्य (टोल प्लाजा) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये. |
| | | | 2. नन्दकिशोर देवेन्द्र पिता बीरबल पदमा वि. मोहन कुनाल पिता मोहन दिपाली दिप्ती दिशीका पुत्रीगण मोहन जाति तेली, निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. | 631/1, 631/2, 631/3 | 0.235 सिंचित | |
| | | | 3. सहसराम पिता हेमराज जाति तेली, निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. | 631/5 | 0.405 सिंचित | |
| | | | 4. बलिराम पिता हेमराज जाति तेली, निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. | 631/7 | 0.154 सिंचित | |
| | | | 5. ताहरा पति सहादत जाति मुसलमान निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. | 632/3 | 0.081 सिंचित | |

कुल योग . . . 01.077

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शायी गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 23 अप्रैल 2015

क्र. 248-सवबान-2015.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति सोनकच्छ के लिये माननीय श्री मनोहर ऊंटवाल, सांसद सदस्य लोकसभा 21-देवास-शाजापुर की और से श्री भगवानसिंह पिता जयरामसिंह पटेल निवासी ग्राम फतनपुर तहसील सोनकच्छ जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है।

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2015

क्र. 4626-एनआर-14-लोकपाल-3-2015.—लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 83-स.स.समिति-चयन-2015 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2015 द्वारा श्री मोहित कुमार व्यास, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर, संभाग इन्दौर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। अतः श्री मोहित कुमार व्यास, सदस्य संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर, संभाग इन्दौर को बडवानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

क्र. 4624-एनआर-14-लोकपाल-3-2015.—लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 79-स.स.समिति-चयन-2015 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2015 द्वारा श्री जयंत चव्हाण, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल को संभागीय सतर्कता समिति भोपाल संभाग भोपाल में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अतः श्री जयंत चव्हाण, अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति भोपाल संभाग भोपाल को भोपाल, सीहोर एवं रायसेन जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संजीव कुमार झा, सचिव.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 2 मई 2015

क्र. 2845-877-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| अनुक्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
|------------|--------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 1 | श्री रत्नेश भदौरिया | जिला पंजीयक (सश्रेय) |
|---|---------------------|----------------------|

क्र. 2847-884-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—द्वितीय लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| क्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
|---------|--------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| 1 | श्री रत्नेश भदौरिया | जिला पंजीयक |
|---|---------------------|-------------|

क्र. 2849-880-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—पुलिस शाखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| अनुक्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
|------------|--------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |

भोपाल संभाग

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | श्री शिव दयाल | सी.एस.पी. |
| 2 | श्री परमाल सिंह मेहरा | उप पुलिस अधीक्षक |
| 3 | श्री रियाज इकबाल | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक |

ग्वालियर संभाग

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 4 | श्री राहुल कुमार इंदरचंद लोढा | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक |
| 5 | श्री विवेक अग्रवाल | सी.एस.पी. |
| 6 | सुश्री हेमलता अग्रवाल | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक |

जबलपुर संभाग

| | | |
|---|---------------------------|-------------|
| 7 | श्री विवेक सिंह | सी.एस.पी. |
| 8 | श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान | एस.डी.ओ.पी. |

उज्जैन संभाग

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 9 | श्री मयंक अवस्थी | नगर पुलिस अधीक्षक |
|---|------------------|-------------------|

सागर संभाग

| | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 10 | कुमार प्रीतक | एस.डी.ओ.पी. |
| 11 | श्री राकेश कुमार पन्द्रो | डी.एस.पी. |

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

क्र. 2904-898-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्य के साधनों, राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि ज्ञान (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| अनुक्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
| (1) | (2) | (3) |

उच्चस्तर**जबलपुर संभाग**

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
| 1 | श्री संतोष कुमार शिवहरे | सहायक प्रबंधक |
| 2 | श्री आसित वर्मा | सहायक प्रबंधक |

क्र. 2906-907-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| अनुक्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
| (1) | (2) | (3) |

उच्चस्तर**जबलपुर संभाग**

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | डॉ. मुदिता श्रीवास्तव (खरे) | रसायनज्ञ (सश्रेय) |
|---|-----------------------------|-------------------|

क्र. 2909-897-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| अनुक्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
| (1) | (2) | (3) |

निम्नस्तर**ग्वालियर संभाग**

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| 1 | श्री चक्रपान सिंह | पंचायत समन्वयक अधिकारी |
|---|-------------------|------------------------|

क्र. 2911-894-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| अनुक्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
| (1) | (2) | (3) |

निम्नस्तर**ग्वालियर संभाग**

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| 1 | श्री चक्रपान सिंह | पंचायत समन्वयक अधिकारी |
|---|-------------------|------------------------|

क्र. 2915-875-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन, द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (केवल नियम एवं अधिनियम-पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| अनुक्रमांक | परीक्षार्थी का नाम | पदनाम |
| (1) | (2) | (3) |

निम्नस्तर**सागर संभाग**

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | श्री कुलदीप चौरहा | सहायक प्रबंधक |
|---|-------------------|---------------|

रीवा संभाग

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 2 | श्री राजेश कुमार पटेल | सहायक प्रबंधक |
|---|-----------------------|---------------|

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
प्लॉट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2015

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-4-2004-29-2, भोपाल दिनांक 28 जनवरी 2004 के द्वारा वैधित शक्तियों के अधीन स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 11 मई 2015 से उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है:—

| क्र. (1) | मुख्य जिला फोरम (2) | संबद्ध जिला फोरम (3) |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | भोपाल | रायसेन |

उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 11 मई 2015 से मध्यप्रदेश के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:—

| क्र. (1) | मुख्य जिला फोरम (2) | संबद्ध जिला फोरम (3) |
|-------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | भोपाल | रायसेन |
| 2 | इन्दौर | - |
| 3 | ग्वालियर | मुरैना, भिण्ड |
| 4 | जबलपुर | - |
| 5 | रीवा | सीधी, शहडोल, अनूपपुर |
| 6 | उज्जैन | देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच |
| 7 | सागर | विदिशा, टीकमगढ़ दमोह |
| 8 | होशंगाबाद | सीहोर |
| 9 | गुना | राजगढ़, अशोकनगर, शाजापुर |
| 10 | धार | बड़वानी, झाबुआ, मण्डलेश्वर |
| 11 | सतना | पन्ना, छतरपुर |
| 12 | खण्डवा | बुरहानपुर, हरदा |
| 13 | शिवपुरी | दतिया, श्योपुर |
| 14 | कटनी | मण्डला, उमरिया, डिण्डौरी |
| 15 | छिन्दवाड़ा | सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बैतूल जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 8 मई 2015

क्र. 01-2015.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ज्ञानेश्वर बी पाटील, कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 (3) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला बैतूल (मध्यप्रदेश)

धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार

- | | |
|---|---------|
| 1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बैतूल जिला बैतूल (म. प्र.) | अध्यक्ष |
|---|---------|

धारा 13 (2) खण्ड (ख) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री मनोहरीसिंग पिता श्री दयाल सिंग, मु. देवपुर कोटमी पो. सिपलई चिचोली, जिला बैतूल. | सदस्य |
| 2. श्री संतोष सिंह चौहान, मु. पो. दामजीपुरा, तह. भैसदेही | सदस्य |
| 3. श्री सतीष जौधलेकर, तिलक वार्ड, कोठीबाजार बैतूल, जिला बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री सतीश हारोडे, अम्बाडा पो. ससुन्द्रा तह. आमला, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. श्री मनीष सिंह ठाकुर, लिंक रोड, सदर बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (2) खण्ड (घ) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल | सदस्य |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल | सदस्य |
| 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (2) खण्ड (ङ) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. प्रबंधक, अग्रणी सेन्द्रल बैंक आफ इंडिया, बैतूल | सदस्य |
|---|-------|

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग बैतूल

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार

- | | |
|--|---------|
| 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल (म. प्र.) | अध्यक्ष |
|--|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री जगन उइके पिता जौहरासिंह उइके मु. बोडना नीमझिरी बैतूल | सदस्य |
| 2. श्री सुखदेव पिता बली, मु. पो. मुजडीढाना, जोगली चिचोली | सदस्य |
| 3. श्री पवन पिता पंजाबराव गुजरे, महावीर वार्ड, बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री सतीश पिता शिवनारायण बडोनिया तलैया मोहल्ला, सदर बैतूल | सदस्य |
| 2. श्रीमती ममता पति देवेन्द्र मालवी, विवेकानंद वार्ड, बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चिचोली | सदस्य |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बैतूल | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. तहसीलदार, बैतूल | सदस्य |
| 2. थाना प्रभारी, थाना कोठीबाजार, बैतूल | सदस्य |

2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग शाहपुर**धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार**

- | | |
|--|---------|
| 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुरा (म. प्र.) | अध्यक्ष |
|--|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री कालिकाराम पिता श्री बीराराम वार्ड नं. 17 पाथाखेडा, सारणी | सदस्य |
| 2. श्री ललित बारस्कर पिता बाकुलाल मु. पो. शाहपुर, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 3. श्री सुनिल उइके पिता शिवदयाल उइके मु. पो. भौरा तह. शाहपुर, जिला-बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री बी. एल. भुजवरे पिता मायाराम, मु. पो. घोडाडोंगरी, जिला बैतूल | सदस्य |
| 2. श्री रामकृष्ण पिता मणिन्द्र सरकार, मु. पुंजी केम्प चोपना घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शाहपुर, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाहपुर, जिला-बैतूल | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. तहसीलदार, शाहपुर जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. थाना प्रभारी, थाना शाहपुर, जिला-बैतूल | सदस्य |

3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग मुलताई**धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार**

- | | |
|---|---------|
| 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई (म. प्र.) | अध्यक्ष |
|---|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री भानु पिता हीराचंद चंदेलकर, मु. पो. देवगाँव पो. जम्बाडा आमला, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. श्री सुम्मत उइके, मु. पो. चकोरा वि. खण्ड प्रभातपट्टन, मुलताई, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 3. श्री सोनू पिता अशोक नागले, मु. पो. बरखेड, तह. मुलताई, जिला-बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री वीरसिंग पिता शंकरसिंह निगम, मु. पो. उमरिया आमला, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. श्री नारायण विश्वकर्मा, पु. पो. मुलताई, जिला-बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुलताई | सदस्य |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आमला | सदस्य |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. प. प्रभात-पट्टन, जिला-बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, तह. मुलताई, जिला-बैतूल | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. तहसीलदार, मुलताई, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. थाना प्रभारी, थाना मुलताई, जिला-बैतूल | सदस्य |

4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग भैसदेही

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार

- | | |
|---|---------|
| 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही (म. प्र.) | अध्यक्ष |
|---|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री श्रीराम पिता श्यामलाल भलावी, मु. पो. सांवलमेंढा, भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. श्री अनिल पिता सुखचन्द उइके, मु. पो. कुडबकाजन भीमपुर, तह. भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 3. श्री ऋषभदास सावरकर, भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री देवीसिंह ठाकुर, भैसदेही, जिला बैतूल | सदस्य |
| 2. श्री कमलदास पिता श्यामू सोनारे, वार्ड नं. 3, भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आठनेर, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 3. परियोजना प्रशासक, आईटीडीपी भैसदेही | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार

- | | |
|--|-------|
| 1. शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |
|--|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार

- | | |
|---|-------|
| 1. तहसीलदार, भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |
| 2. थाना प्रभारी, थाना भैसदेही, जिला-बैतूल | सदस्य |

ज्ञानेश्वर बी पाटील, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 12 मई 2015

क्र. 500-रा.स.-यू.ए.-5-2013.—इस सचिवालय की समसंख्य अधिसूचना क्रमांक 398/रास/यू.ए.-5/2013, दिनांक 5 अप्रैल 2013 के अनुक्रम में नानाजी देशमुख, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट डॉ. ए. डी. के. पटेल, संचालक, पशुपालन विभाग, गांधी नगर, गुजरात को माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा अधिनियम की धारा 22(2)(च) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 8 मई 2015

क्र. मंडी-निर्वा.-2014-15-368.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अंतर्गत खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

| क्र. (1) | मण्डी का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | खरगोन | बालकृष्ण पाटीदार, ग्राम टेमला, तहसील-खरगोन | 11(1)(घ) |
| 2 | सनावद | संजय पिता बलीराम मुछाला, ग्राम बेडिया, तहसील-सनावद | 11(1)(घ) |
| 3 | कसरावद | शेरू यादव, ग्राम कठोरा, तहसील-कसरावद | 11(1)(घ) |
| 4 | करही | मदनलाल पाटीदार, ग्राम कवाणा, तहसील-महेश्वर | 11(1)(घ) |
| 5 | सेंगाव | गोपाल छगनलाल गर्ग, ग्रा केली, तहसील-सेंगाव | 11(1)(घ) |

क्र. मंडी-निर्वा.-2014-15-370.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अंतर्गत खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

| क्र. (1) | मण्डी का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | कसरावद | सुरेश ताराचंद पाटीदार, ग्राम बालसमुद, तहसील-कसरावद | 11(1)(घ) |

क्र. मंडी-निर्वा.-2014-15-372.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(ड) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मंडी क्षेत्र में कृषि कर रही सहकारी विपणन सोसायटी सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

| क्र. (1) | मण्डी का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | खरगोन | जगदीश नत्थुजी पाटीदार, ग्राम पंधान्या, तहसील-खरगोन | 11(1)(ड) |
| 2 | सनावद | जीवनलाल धनश्यामजी बिल्ला सनावद | 11(1)(ड) |
| 3 | कसरावद | रामकरण अर्जुन पाटीदार, ग्राम अघावन, तहसील-खरगोन | 11(1)(ड) |

क्र. मंडी-निर्वा.-2014-15-374.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(च) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

| क्र. (1) | मण्डी का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | खरगोन | पी.एस. निंगवाल, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, खरगोन | 11(1)(च) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------|---|----------|
| 2 | सनावद | सुरज निंगवाल, कृषि विकास अधिकारी, सनावद | 11(1)(च) |
| 3 | भीकनगांव | श्री एस. एल. अटोदे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भीकनगांव | 11(1)(च) |
| 4 | बडवाह | बी. एस. सेंगर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बडवाह | 11(1)(च) |
| 5 | कसरावद | सुभाष मेहता वरिष्ठ कृषि अधिकारी, कसरावद | 11(1)(च) |
| 6 | करही | टी.एस. मंडलोई, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, महेश्वर | 11(1)(च) |
| 7 | सेंगाव | एम. एस. चौहान, कृषि विकास अधिकारी, सेंगाव | 11(1)(च) |

क्र. मंडी-निर्वा.-2014-15-376.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(ज) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

| क्र. (1) | मण्डी का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|-------------|---------------------|---|------------------------------|
| 1 | खरगोन | रणजीत सिंह, डण्डीर ज्योति, नगर, बिस्टान रोड खरगोन | 11(1)(ज) |
| 2 | सनावद | दिलीप जोशी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा बमनाला | 11(1)(ज) |
| 3 | भीकनगांव | सत्येन्द्र सिंह चौहान, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, भीकनगांव. | 11(1)(ज) |
| 4 | बडवाह | बलीराम पटेल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा बेडिया | 11(1)(ज) |
| 5 | कसरावद | परसराम चौहान, विश्वसखा कॉलोनी, खरगोन | 11(1)(ज) |
| 6 | करही | प्रकाश रत्नपारखी, गुरुवा दरवाजा मार्ग, खरगोन | 11(1)(ज) |
| 7 | सेंगाव | गणपत गोखले, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा सेगांव | 11(1)(ज) |

क्र. मंडी-निर्वा.-2014-15-378.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(ज) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

| क्र. (1) | मण्डी का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|-------------|---------------------|---|------------------------------|
| 1 | खरगोन | केदार चिडाभाई डावर, ग्राम सांगवी, पोस्ट केली, तह. सेगांव | 11(1)(ज) |
| 2 | सनावद | सुरेश शिवजी सोलंकी, ग्राम पोस्ट-बेडिया, तहसील सनावद, जिला खरगोन. | 11(1)(ज) |
| 3 | भीकनगांव | भगवान पिता गंगाराम, ग्राम पोस्ट साईंखेड़ी, तहसील भीकनगांव जिला खरगोन. | 11(1)(ज) |
| 4 | बडवाह | कमल माणकचन्द्र शर्मा, ग्राम पोस्ट बागोद तहसील बडवाह, जिला खरगोन. | 11(1)(ज) |
| 5 | कसरावद | मनोहर देवराम मुकाती, मु. पो. बामन्दी तहसील कसरावद जिला खरगोन. | 11(1)(ज) |
| 6 | करही | ओमप्रकाश धरमवीर गोस्वामी, ग्राम पोस्ट भामपुरा, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन. | 11(1)(ज) |
| 7 | सेंगाव | श्रीमती कविता जगदीश पाटीदार, ग्राम गोलवाड़ी, तहसील सेंगाव जिला खरगोन. | 11(1)(ज) |

नीरज दुबे, कलेक्टर.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 मई 2015

शुद्धि-पत्र

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 37-नग्रानि-2015.—कार्यालयीन सूचना क्रमांक 1527, दिनांक 15 मई 2015 के द्वारा छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों के प्रकाशन के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, क्रमांक 1397, दिनांक 15 मई 2015 में प्रकाशित सूचना एतद्वारा निरस्त की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार सूचना जारी की जाती है कि छिन्दवाड़ा (निवेश क्षेत्र) के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति,—

- (1) आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर
- (2) कलेक्टर कार्यालय, छिन्दवाड़ा
- (3) आयुक्त, नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा
- (4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छिन्दवाड़ा

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

निवेश क्षेत्र की अनुसूची

1. उत्तर-पूर्व में—खैरीभोपाल, लहगडुवा, अंजनिया, सुरगी, सोनाखार उत्तर-पूर्वी सीमा तक.
2. पूर्व-दक्षिण में—इमलियाबोहता, बोरिया, सरसवाड़ा, सोनपुर, इमलीखेड़ा, पूर्व-दक्षिणी सीमा तक.
3. दक्षिण-पश्चिम में—थुनियाभांड, चन्दनगांव, गुरैया, उसरिया, पोआमा, दक्षिणी-पश्चिमी सीमा तक.
4. पश्चिम-उत्तर में—काराबोह, खजरी, झण्डा, पश्चिम-उत्तरी सीमा तक.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधी जिला कार्यालय में दिनांक 25 मई 2015 मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

ईश्वर सिंह, प्र. उप संचालक.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2015

क्र. एफ-12-5-2015-सात-शा. 2ए.—राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-17-सात-2ए, दिनांक 2 जनवरी 2008 द्वारा ट्राईडेन्ट लिमिटेड (पूर्व अभिषेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा मेगा टेक्सटाईल प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु जिला सीहोर, तहसील बुधनी के ग्राम बेरखेड़ी का सर्वे नं. 8 रकबा 4.52 एकड़, ग्राम बुधनी का सर्वे नं. 19, रकबा 4.51 एकड़ एवं सर्वे नं. 45/3/2 रकबा 2.21 एकड़ तथा ग्राम महुकला का सर्वे नं. 179/9 रकबा 4.50 एकड़ इस प्रकार कुल रकबा 15.74 एकड़ निजी भूमि को भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के प्रावधान अन्तर्गत सशर्त भू-अर्जन करने की स्वीकृति दी गई थी।

(2) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 का प्रकाशन दिनांक 23 अगस्त 2008 को किया गया था।

(3) राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उपरोक्त पैरा-2 में उल्लेखित प्रकाशित अधिसूचनाओं में दिए गए विवरण अनुसार उक्त भूमियों के भूमिस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कब्जा लिया गया है।

(4) अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93 में वर्णित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही प्रत्याहृत की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2015

क्र. एफ-04-06-2013-चौवन-1.—राज्य शासन मध्यप्रदेश वितीय अधिकारों की पुस्तिका 1995 के खण्ड-एक के अनुक्रमांक 3 में उल्लेखित म.प्र. वि.सं. जिल्द एक, नियम 2 (23) वि.वि. का ज्ञाप क्रमांक ई-17-2-79-नियम-पांच-चार, दिनांक 31 दिसम्बर 1979 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना हेतु आगर-मालवा जिले को सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार जिले के विभागीय जिलाधिकारी (सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के जिला कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय के भाग के रूप में कार्य करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 2094-दस-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 11 उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------------|---------------|---|--|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा क्षेत्रफल (हे. में) | (6) | (7) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| अनूपपुर | पुष्पराजगढ़ | कछराटोला | 935/2ख 933 935/2क/4 935/2क/5 935/2क/6 934 योग | 0.101 0.049 0.230 0.230 <u>0.610</u> | भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.). | शहडोल-सिंहपुर-तुलरा- पडरिया मार्ग पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 13 मई 2015

प्र. क्र. 4-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|----------------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छतरपुर | बिजावर | वेदपुरा (पूरक) | 35.000 | भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर. | श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 11 मई 2015

पत्र क्र. 3080-81-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की उपधारा 4 की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजगढ़ | ब्यावरा | टोंका नेठाठारी | 6.726 0.370 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़. | टोंका तालाब के डुब क्षेत्र वेस्टवियर एवं नहर में आई शेष भूमि का पूरक प्रकरण. |

कुल योग . . . 7.096

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 3082-83-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-------------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजगढ़ | ब्यावरा | तुमडियाखेडी | 0.410 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, राजगढ़. | लखनवास से तुमडियाखेडी मार्ग निर्माण कार्य भूमि का अर्जन. |

योग . . . 0.410

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 1 मई 2015

अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

क्र. 1074-13-14-प्र. क्र. 04-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में टुगनी तालाब (पूरक प्रकरण) योजना में ग्राम टुगनी की भूमि तालाब निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका

कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—टुगनी

| स. क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.) | | |
|---------|-------|--|---------|-------|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | टुगनी | 0.250 | 0.190 | 0.440 |
| योग . . | | 0.250 | 0.190 | 0.440 |

अनुसूची (2)

टुगनी तालाब योजना (पूरक प्रकरण)

| स. क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|---------|---|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | कालूसिंह पिता रामसिंह सो. रा. निवासी ग्राम | 37/1 पै. 37/6 पै. | 0.190 0.890 | 0.000 0.250 | 0.190 0.000 | 0.380 1.140 |
| योग . . | | 2 | 1.080 | 0.250 | 0.190 | 1.520 |

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

क्र. 1081-13-14-प्र. क्र. 07-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में लेदी तालाब (द्वितीय पूरक प्रकरण) योजना में ग्राम मोखमपुरा, ओसरना, लेदीकला की भूमि तालाब निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—मोखमपुरा, ओसरना, लेदीकला

| स. क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.) | | |
|---------|----------|--|---------|-------|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | मोखमपुरा | 0.780 | 1.030 | 1.810 |
| 2 | ओसरना | 0.460 | 0.170 | 0.630 |
| 3 | लेदीकला | 0.674 | 0.318 | 0.992 |
| योग . . | | 1.914 | 1.518 | 3.432 |

अनुसूची (2)
लेदी तालाब योजना (द्वितीय पूरक प्रकरण)

| स. क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|-----------------------|--|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ग्राम—मोखमपुरा | | | | | | |
| 1 | भेरूलाल राधाकिशन रामनारायण व नाथीबाई देउबाई चन्दाबाई ग्यारसीबाई भूलीबाई पिता कनीराम मांगीलाल पिता हीरालाल मीणा. | 335 | 1.690 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 2 | खाजुखां पिता कादरखां मुसलमान | 336 | 0.630 | 0.000 | 0.570 | 0.570 |
| 3 | मोतीलाल पिता देवीलाल मीणा | 339 | 0.140 | 0.000 | 0.030 | 0.030 |
| 4 | हरलाल पिता भुवानीराम मीणा | 340 | 0.070 | 0.000 | 0.040 | 0.040 |
| 5 | महादेव पिता भुवानीराम मीणा | 341 | 0.060 | 0.000 | 0.060 | 0.060 |
| 6 | शंकरलाल पिता गोपी रुकमणबाई मदनबाई बसंतीबाई पिता गोपी ना.बा. सर. भाई शंकरलाल. | 342 346 | 0.050 0.630 | 0.000 0.000 | 0.050 0.150 | 0.050 0.150 |
| 7 | शंकरलाल पिता गोपी मीणा | 343 | 0.180 | 0.000 | 0.050 | 0.050 |
| 8 | सीताराम फुलचंद कंचनबाई डालुबाई पिता पन्ना मीणा. | 344 | 0.240 | 0.000 | 0.080 | 0.080 |
| 9 | मोहन दर्याव पिता वरदीलाल सांवरलाल सुनिल पिता बालाराम व प्रेमबाई बेवा बालाराम मीणा. | 350 | 2.510 | 0.300 | 0.000 | 0.300 |
| 10 | गुलाब पिता रामा चमार ओसरना | 356 | - | - | - | कुआ पक्का. |
| 11 | राधाकिशन पिता नाथुलाल कुल्मी निवासी ओसरना. | 371 | 3.090 | 0.230 | 0.000 | 0.230 |
| योग | | | 10.150 | 0.780 | 1.030 | 1.810 |
| ग्राम—ओसरना | | | | | | |
| 1 | लक्ष्मीनारायण पिता कंवरलाल कुल्मी | 162 | 0.090 | 0.000 | 0.090 | 0.090 |
| 2 | घनश्याम पिता कंवरलाल कुल्मी | 163 174 | 0.080 0.290 | 0.060 0.060 | 0.000 0.000 | 0.060 0.060 |
| 3 | कन्हैयालाल पिता कंवरलाल कुल्मी | 161 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 0.080 |
| 4 | शिवलाल अमरलाल पिता भोलुराम कुल्मी | 168 | 1.970 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
| 5 | शिवनारायण पिता नानुराम कुल्मी | 190 | 0.110 | 0.040 | 0.000 | 0.040 |
| 6 | हुकुमचंद पिता शिवनाराण कुल्मी | 191 | 0.170 | 0.140 | 0.000 | 0.140 |
| योग | | | 2.790 | 0.460 | 0.170 | 0.630 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|----------------------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| ग्राम—लेदीकला | | | | | | |
| 1 | सांवरलाल पिता हरलाल अहीर | 3 | 2.550 | 0.474 | 0.000 | 0.474 |
| 2 | प्रभुलाल पिता जगन्नाथ अहीर | 23/2 | 1.631 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| 3 | सुन्दरबाई पति कंवरलाल खारोल | 9 | 1.296 | 0.080 | 0.100 | 0.180 |
| 4 | रामचन्द्र पिता कजोड़ अहीर | 60/1 | 0.930 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
| 5 | गोपाल पिता हीरालाल अहीर | 60/2 | 0.418 | 0.000 | 0.218 | 0.218 |
| 6 | शोभाराम पिता रामनारायण अहीर | 26/मिन-2 | 2.000 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| योग . . | | | 8.825 | 0.674 | 0.318 | 0.992 |

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

[अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)]

क्र. 1087-13-14-प्र. क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना में पालखंदा तालाब योजना के लिये आवश्यकता है. वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

| स. क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) | | |
|---------|-----------|--|---------|-------|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | सुरजनानया | 1.635 | 0.410 | 2.045 |
| योग . . | | 1.635 | 0.410 | 2.045 |

अनुसूची (2)

| स. क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|-------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ग्राम—सुरजना नया | | | | | | |
| 1 | कारीबाई बेवा तेजसिंह जनशबाई व कुशालबाई पिता तेजसिंह सो. रा. निवासी ग्राम. | 382 | 0.620 | 0.620 | 0.000 | 0.620 |
| 2 | जनशबाई पिता तेजसिंह सो. रा. निवासी ग्राम. | 383/2/1 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
| 3 | कुशालबाई पिता तेजसिंह सो. रा. निवासी ग्राम. | 383/2/2 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
| 4 | नाथुलाल पिता दल्ला कुम्हार निवासी ग्राम. | 367 | 0.810 | 0.400 | 0.410 | 0.810 |
| 5 | सुगनाबाई पति नाथुलाल सो. रा. निवासी ग्राम. | 396 | 0.750 | 0.295 | 0.000 | 0.295 |
| योग . . | | 1 | 2.500 | 1.635 | 0.410 | 2.045 |

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

क्र. 1099-13-14-प्र. क्र. 08-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना श्रीनगर तालाब योजना के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—नावली

| स. क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.) | | |
|---------|-------|--|---------|-------|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | नावली | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| योग . . | | 0.500 | 0.000 | 0.500 |

अनुसूची (2)

श्रीनगर तालाब योजना

| स. क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि | | |
|-------------|---|------------|------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ग्राम—नावली | | | | | | |
| 1 | रामनारायण, लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल व नन्दलाल, वरदीलाल पिता हरलाल व हरदारबाई बेवा हरलाल मीणा निवासी ग्राम. | 690/2 | 1.538 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| योग . . | | 1 | 1.538 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 7 अप्रैल 2015**

प्र. क्र. 6358-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------------|---|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| होशंगाबाद | होशंगाबाद | पंवारखेडा बस्ती | 0.024 | अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद. | राष्ट्रीय राजमार्ग 69 के कि. मी. 44/10 पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—राष्ट्रीय राजमार्ग 69 के कि.मी. 44/10 पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 6 मई 2015

क्र. एफ-9-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—नादो
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.418 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 25 | 0.030 |
| 26 | 0.032 |
| 29/1 | 0.048 |
| 29/2 | 0.048 |
| 281 | 0.080 |
| 282 | 0.060 |
| 298/1क | 0.048 |
| 285 | 0.072 |
| निजी खाता भूमि योग रकबा | 0.418 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध में नादो सबमाइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-10-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—सुलखमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.090 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 8/740/1 | 0.050 |
| 8/740/2क | 0.035 |
| 8/740/2ख | 0.014 |
| 8/740/3 | 0.004 |
| 8/740/4 | 0.004 |
| 8/740/5 | 0.004 |
| 9/1 | 0.018 |
| 9/2 | 0.018 |
| 9/3 | 0.018 |
| 9/4 | 0.018 |
| 11/1क/1 | 0.074 |
| 11/1क/1 | 0.005 |
| 11/1क/3 | 0.025 |
| 11/1क/4 | 0.025 |
| 11/1ख | 0.074 |
| 11/2 | 0.020 |
| 13 | 0.045 |
| 180/1क | 0.076 |
| 180/1ख | 0.076 |
| 180/1ग 1 | 0.029 |
| 180/1ग 2 | 0.029 |
| 184 | 0.012 |
| 185 | 0.010 |
| 186 | 0.052 |
| 187/1 | 0.020 |
| 187/1क | 0.040 |
| 187/2 | 0.152 |
| 187/1ग | 0.048 |
| 204 | 0.032 |

| (1) | (2) | इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:— | अनुसूची | |
|--|-------|---|----------|-------------|
| 205 | 0.020 | | | |
| 207 | 0.057 | | | |
| 531/1 | 0.008 | | | |
| 531/2 | 0.032 | (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता) | | |
| 533/737 | 0.032 | (क) जिला—सतना | | |
| 534/736 | 0.028 | (ख) तहसील—मझगवां | | |
| 546/1 | 0.020 | (ग) नगर/ग्राम—कूडी | | |
| 546/2 | 0.042 | (घ) लगभग क्षेत्रफल—17.28 हेक्टेयर. | | |
| 547/1 | 0.014 | | खसरा नं. | अर्जित रकबा |
| 547/2 | 0.014 | | | (हे. में) |
| 554 | 0.008 | | (1) | (2) |
| 555 | 0.008 | | 149 | 0.240 |
| 556/1 | 0.006 | | 151 | 0.020 |
| 556/2 | 0.006 | | 159 | 0.200 |
| 556/3 | 0.006 | | 160 | 3.541 |
| 577/1 | 0.060 | | 62 | 0.307 |
| 577/2 | 0.040 | | 58 | 1.441 |
| 477/3 | 0.070 | | 57 | 3.303 |
| 582/1 | 0.202 | | 59 | 0.804 |
| 582/2 | 0.101 | | 60 | 0.020 |
| 583/2ख | 0.040 | | 61 | 0.704 |
| 584/1क | 0.040 | | 54 | 0.100 |
| 584/1ख | 0.101 | | 55 | 0.285 |
| 584/2 | 0.060 | | 56 | 0.636 |
| 6/3 | 0.024 | | 40 | 0.900 |
| 6/4 | 0.024 | | 10 | 0.120 |
| योग . . | 2.090 | | 44 | 0.264 |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . . | 2.090 | | 45 | 0.180 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध में सुलखमा माइनर नहर निर्माण हेतु. | | | 60 | 1.200 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है. | | | 61/2 | 0.175 |
| | | | 89 | 1.500 |
| | | | 127 | 0.024 |
| | | | 118/2क | 0.756 |
| | | | 118/2ख | 0.060 |
| | | | 118/2ग | 0.500 |
| | | | योग . . | 17.28 |
| सतना, दिनांक 12 मई 2015 | | निजी खाता भूमि योग रकबा . . | 17.28 | |

क्र. एफ-15-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—कुरी बांध हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-16-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मझगावां
(ग) नगर/ग्राम—पिन्ड्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.717 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|--------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 3532/1 | 1.910 |
| 3532/2 | 1.910 |
| 3531 | 0.959 |
| 3530 | 0.518 |
| 3529/1/घ/1 | 1.214 |
| 3529/1/घ/2 | 0.202 |
| 3529/1/ड/क | 0.337 |
| 3529/1/ड/ख | 0.337 |
| 3529/1/ड/ग | 0.337 |
| 3529/2/ब/1 | 2.023 |
| 3565 | 0.16 |
| 3558 | 0.20 |
| 3599/2/क | 1.214 |
| 3599/2/ख | 0.809 |
| 3529/2/ब/2/क | 0.405 |
| 3529/2/ब/2/ख | 0.809 |
| 3529/2/ब/2/ग | 0.810 |
| 3529/3 | 2.023 |
| 3602/3/द | 0.809 |
| 3602/2 | 1.214 |
| 3602/3/क | 0.202 |
| 3602/3/ख | 0.607 |
| 3602/3/ग | 0.809 |
| 3545/1 | 0.308 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| (1) | (2) |
| 3544/2 | 0.405 |
| 3540/3 | 0.405 |
| 3540/2 | 1.020 |
| 3539 | 0.761 |
| योग . . | <u>22.717</u> |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . . | <u>22.717</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—कुरी बांध हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 8 मई 2015

क्र. 4619-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—कमकासुर, प.ह.नं. 14, ब.नं.-45, रा.नि.म. बंडोल.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.36 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

| खसरा नम्बर | अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------------------|
| (1) | (2) |
| 103 | 0.02 |
| 104 | 0.02 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------------|------|-------------------|------|
| 105 | 0.03 | 296/1 | 0.09 |
| 106/2 | 0.02 | 280/1 | 0.26 |
| 106/1 | 0.01 | 280/3 | 0.12 |
| 37/1 | 0.04 | 280/2 | 0.21 |
| 37/2 | 0.05 | 280/4 | 0.01 |
| 31/1 | 0.13 | 296/2 | 0.06 |
| 31/2 | 0.13 | 296/3 | 0.09 |
| 36 | 0.24 | 324/2 | 0.04 |
| 48 | 0.19 | 297 | 0.07 |
| 49 | 0.15 | 307 | 0.04 |
| 52 | 0.41 | 306 | 0.05 |
| 51 | 0.10 | योग (अ) . . | 6.05 |
| 50 | 0.09 | | |
| 64 | 0.13 | | |
| 65 | 0.01 | | |
| 66 | 0.17 | 86 | 0.01 |
| 132/2 | 0.05 | 141 | 0.01 |
| 133 | 0.01 | 61 | 0.04 |
| 135 | 0.08 | 247 | 0.05 |
| 134/1 | 0.04 | 251 | 0.05 |
| 134/2 | 0.14 | 266 | 0.05 |
| 243/1 | 0.11 | 281 | 0.03 |
| 242 | 0.10 | 265 | 0.02 |
| 250/1 | 0.14 | 327/1 | 0.03 |
| 254 | 0.18 | 328 | 0.02 |
| 256/1, 256/2 | 0.22 | योग (ब) . . | 0.31 |
| 257 | 0.02 | कुल योग (अ+ब) . . | 6.36 |
| 258 | 0.15 | | |
| 309 | 0.28 | | |
| 267/2 | 0.01 | | |
| 308 | 0.20 | | |
| 269 | 0.01 | | |
| 270 | 0.04 | | |
| 302 | 0.13 | | |
| 305/1 | 0.08 | | |
| 305/2 | 0.16 | | |
| 303 | 0.24 | | |
| 301 | 0.12 | | |
| 300/1 | 0.16 | | |
| 277/5 | 0.04 | | |
| 277/6 | 0.02 | | |
| 325 | 0.01 | | |
| 277/4 | 0.15 | | |
| 284 | 0.18 | | |

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 11 मई 2015

पत्र क्र. 157-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—नरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम—कन्हारपानी, नं. बं. 37, प.ह.नं. 26/68
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.296 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 230/1 | 0.080 |
| 230/3 | 0.108 |
| 233/1 | 0.096 |
| 234/1 | 0.012 |
| योग | 0.296 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—कन्हारपानी जलाशय के डाउन स्ट्रीम में नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्रं. 84 (भू-अर्जन शाखा) में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 मई 2015

पत्र क्र. 1248-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—डोमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.886 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि. | |
| 165 | 0.042 |
| 166 | 0.109 |
| 169 | 0.047 |
| 170 | 0.003 |
| 177 | 0.074 |
| 178 | 0.057 |
| 179/1, 179/2 | 0.100 |
| 212 | 0.010 |
| 213 | 0.092 |
| 215 | 0.084 |
| 216 | 0.003 |
| 222 | 0.061 |
| 228 | 0.009 |
| 229 | 0.028 |
| 230 | 0.344 |
| 231 | 0.026 |
| 244 | 0.006 |
| 243 | 0.082 |
| 242 | 0.121 |
| 241 | 0.134 |
| 240 | 0.027 |
| 236 | 0.001 |
| 238 | 0.253 |
| 237/1, 237/2 | 0.066 |
| 132/1, 132/2 | 0.166 |
| 134 | 0.082 |
| 131/1, 131/2 | 0.009 |
| 133 | 0.059 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| (1) | (2) |
| 118/1, 188/2 | 0.326 |
| 113 | 0.003 |
| 119/1, 119/2 | 0.313 |
| 120/653 | 0.010 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग | 2.747 |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| 164 | 0.011 |
| 168 | 0.003 |
| 180 | 0.025 |
| 122 | 0.100 |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग | 0.139 |
| अ+ब का योग | 2.886 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1250-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—खुटहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.650 हेक्टेयर.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1312 | 0.182 |
| 1314 | 0.005 |
| 1313 | 0.099 |
| 1316 | 0.122 |

| | |
|----------|-------|
| (1) | (2) |
| 1321 | 0.021 |
| 1317/1/क | 0.002 |
| 1317/1/ख | |
| 1317/2 | |
| 1320 | 0.021 |
| 1319 | 0.187 |
| 1318/1/क | 0.008 |
| 1318/1/ख | |
| 1318/2 | |
| 1318/3 | |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . **0.647**

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1311 . . . 0.003

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . **0.003**

अ+ब का योग . . . **0.650**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1252-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—बरहदी 420
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.840 हेक्टेयर.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 671 | 0.008 |
| 670 | 0.018 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------------------|-------|----------------------------|-------|
| 669/1, 669/2 | 0.037 | 979 | 0.056 |
| 668/1, 668/2 | 0.021 | 989/1, 989/2, 989/3, | 0.080 |
| 672 | 0.005 | 989/4, 989/5, 989/6, 989/7 | |
| 657 | 0.003 | 987/1, 987/2, 987/3, 987/4 | 0.187 |
| 656/1, 656/2, | 0.158 | 982 | 0.031 |
| 656/3, 656/4 | | 983 | 0.037 |
| 638, 636/1, 636/2 | 0.114 | 984 | 0.015 |
| 637 | 0.021 | 985 | 0.068 |
| 639 | 0.243 | 986 | 0.023 |
| 640 | 0.017 | 952 | 0.001 |
| 652 | 0.212 | 951 | 0.168 |
| 651 | 0.034 | 950 | 0.049 |
| 361 | 0.157 | 949 | 0.092 |
| 360 | 0.129 | 948 | 0.027 |
| 357 | 0.049 | 947 | 0.160 |
| 358 | 0.063 | 1017 | 0.064 |
| 356 | 0.094 | 1018 | 0.003 |
| 347/1, 347/2 | 0.054 | 1019 | 0.148 |
| 346/1, 346/2 | 0.059 | 1049 | 0.208 |
| 338 | 0.001 | 1060 | 0.016 |
| 337 | 0.104 | 1059 | 0.012 |
| 333 | 0.101 | 1048/1, 1048/2 | 0.002 |
| 317 | 0.001 | 1047 | 0.040 |
| 316 | 0.162 | 1046 | 0.043 |
| 314/1, 314/2, 314/3 | 0.016 | 1036 | 0.022 |
| 315/1, 315/2 | 0.082 | 1035 | 0.012 |
| 312 | 0.025 | 1034 | 0.045 |
| 304/1, 304/2 | 0.088 | 1033 | 0.003 |
| 311/1, 311/2 | 0.005 | 1098 | 0.001 |
| 305 | 0.128 | 1032 | 0.218 |
| 289/1, 289/2 | 0.087 | 1029 | 0.005 |
| 290 | 0.004 | 1106 | 0.028 |
| 285/1, 285/2, 285/3 | 0.098 | 1111 | 0.014 |
| 282 | 0.060 | 1116 | 0.007 |
| 281/1, 281/2 | 0.066 | 1105 | 0.008 |
| 280 | 0.032 | 1107 | 0.012 |
| 226 | 0.038 | 1109 | 0.012 |
| 279/1, 279/2 | 0.070 | 1110 | 0.016 |
| 278 | 0.096 | 1113 | 0.016 |
| 275 | 0.075 | 1114 | 0.012 |
| 274 | 0.056 | 1112 | 0.012 |
| 270 | 0.026 | 1115 | 0.016 |
| 269/1, 269/2 | 0.249 | 1117 | 0.012 |
| 268 | 0.097 | 1118 | 0.012 |
| 264/1, 264/2 | 0.155 | 1119 | 0.016 |

| (1) | (2) | (ग) ग्राम—नरहा 310 | (घ) लगभग क्षेत्रफल —6.399 हेक्टेयर. |
|--|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1121/1, 1121/2, | 0.034 | खसरा नं. | अर्जित रकबा |
| 1121/3, 1121/4 | | | (हे. में) |
| 1122 | 0.029 | (1) | (2) |
| 1126 | 0.007 | अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1125/1, 1125/2 | 0.001 | 899 | 0.576 |
| 1136 | 0.025 | 898 | 0.011 |
| 1134 | 0.017 | 900 | 0.008 |
| 1135 | 0.105 | 897 | 0.163 |
| 1104/1, 1104/2 | 0.003 | 884/1/1, 884/1/2, | |
| 1097 | 0.001 | 884/1/3, 884/1/4, | 0.011 |
| 1037 | 0.001 | 884/1/5, 884/1/6, | |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . | 5.670 | 884/1/7, 884/1/8, 884/2 | |
| | | 896 | 0.003 |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | | 895/1, 895/2 | 0.083 |
| 334 | 0.024 | 892 | 0.132 |
| 970 | 0.001 | 893/1, 893/2 | 0.056 |
| 1128 | 0.046 | 894/1, 894/2, 894/3 | 0.001 |
| 1120 | 0.045 | 912 | 0.089 |
| 1108 | 0.054 | 913/1, 913/2 | 0.077 |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . | 0.170 | 684/1, 684/2 | 0.102 |
| अ+ब का योग . . . | 5.840 | 686 | 0.019 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती | | 683/1, 683/2, 683/3 | 0.106 |
| मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली | | 682/1, 682/2, | 0.053 |
| निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. | | 682/3, 683/4 | |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं | | 681 | 0.024 |
| पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया | | 679 | 0.075 |
| जा सकता है. | | 638/1, 638/2 | 0.349 |
| पत्र क्र. 1254-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन | | 626/1, 626/2 | 0.015 |
| को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के | | 627 | 0.072 |
| पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित | | 636 | 0.169 |
| भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन | | 635 | 0.085 |
| पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता | | 634 | 0.070 |
| का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके | | 438 | 0.178 |
| द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित | | 643/1, 643/2 | 0.008 |
| सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— | | 436 | 0.030 |
| | | 435 | 0.034 |
| | | 432 | 0.040 |
| | | 434 | 0.169 |
| | | 433 | 0.113 |
| (1) भूमि का वर्णन— | | 408 | 0.017 |
| (क) जिला—रीवा | | 407/1, 407/2 | 0.014 |
| (ख) तहसील—गुढ़ | | | |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) | (2) |
| 409 | 0.124 |
| 403 | 0.020 |
| 402 | 0.134 |
| 411 | 0.067 |
| 401 | 0.009 |
| 206/1, 206/2 | 0.240 |
| 400 | 0.004 |
| 207/1, 207/2 | 0.120 |
| 210/1, 210/2 | 0.115 |
| 211 | 0.107 |
| 212/1/क | |
| 212/1/ख | 0.157 |
| 212/2 | |
| 335 | 0.077 |
| 336 | 0.005 |
| 225 | 0.159 |
| 224 | 0.156 |
| 227 | 0.071 |
| 226 | 0.062 |
| 282 | 0.291 |
| 280 | 0.072 |
| 281 | 0.002 |
| 256 | 0.362 |
| 259 | 0.105 |
| 257 | 0.002 |
| 260 | 0.007 |
| 261 | 0.001 |
| 262 | 0.297 |
| 246/1, 246/2 | 0.013 |
| 247 | 0.394 |
| 245 | 0.076 |
| 244/1 | |
| 244/2 | |
| 244/3 | 0.195 |
| 244/4 | |
| 244/5 | |
| 244/6 | |
| 637 | 0.002 |
| 258 | 0.001 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . | <u>6.399</u> |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . | <u>0.000</u> |
| अ+ब का योग . . | <u>6.399</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1256-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—रोर 561
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.503 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|------------|-------|
| 89 | 0.153 |
| 90 | 0.009 |
| 85/1, 85/2 | 0.179 |
| 84 | 0.002 |
| 83, 83/3 | 0.012 |
| 86/1, 86/2 | 0.148 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.503

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.503

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1258-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—कुइया कला 90
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.289 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1810 | 0.003 |
| 1746/1 | |
| 1746/2 | |
| 1746/3 | |
| 1746/4 | 0.270 |
| 1746/5 | |
| 1746/6 | |
| 1746/7 | |
| 1746/8 | |
| 1745 | 0.098 |
| 1744/1, 1744/2 | 0.095 |
| 1744/3, 1744/4 | |
| 1743 | 0.093 |
| 1739 | 0.121 |
| 1728 | 0.041 |
| 1737 | 0.024 |
| 1738 | 0.100 |
| 1736 | 0.057 |
| 1735 | 0.008 |
| 1734 | 0.247 |
| 1733/1, 1733/2 | 0.111 |
| 1392/1, 1392/2, 1392/3 | 0.020 |
| 1391 | 0.001 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.289

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----------------------------------|-------|
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . | 0.000 |
| अ+ब का योग . . . | 1.289 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1260-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—गोरेगाँव 165
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.908 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1383 | 0.121 |
| 1380 | 0.123 |
| 1381 | 0.001 |
| 1402 | 0.162 |
| 1401 | 0.008 |
| 1400 | 0.094 |
| 1414/1, 1414/2 | 0.087 |
| 1415/1, 1415/2 | 0.073 |
| 1399 | 0.001 |
| 1422/1, 1422/2, 1422/3 | 0.146 |
| 1420 | 0.285 |
| 1419 | 0.113 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------------------------|-------|--|-------|
| 1443/1, 1443/2, | | 1452 | 0.001 |
| 1443/3, 1443/4, | 0.007 | 379/1, 379/2 | 0.054 |
| 1443/5, 1443/6 | | 380 | 0.186 |
| 1444/1, 1444/2, | | 381 | 0.088 |
| 1444/3, 1444/4, | 0.189 | 386 | 0.036 |
| 1444/5, 1444/6, | | 385/1, 385/2, 385/3 | 0.030 |
| 1444/7 | | 382 | 0.009 |
| 1445/1, 1445/2 | 0.216 | 383 | 0.055 |
| 1446/1, 1446/2, | 0.219 | अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 4.823 | |
| 1446/3, 1446/4 | | ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| 1451 | 0.002 | 1405 | 0.022 |
| 1449 | 0.014 | 1450 | 0.034 |
| 1447/1, 1447/2, 1447/3 | 0.037 | 954 | 0.006 |
| 1448 | 0.034 | 952 | 0.001 |
| 958/1, 958/2 | 0.121 | 1405 | 0.022 |
| 959/1, 959/2 | 0.008 | म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.085 | |
| 956 | 0.048 | अ+ब का योग . . . 4.908 | |
| 955/1, 955/2, 955/3 | 0.107 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. | |
| 950/1, 950/2, 950/3 | 0.025 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| 951 | 0.120 | पत्र क्र. 1262-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— | |
| 953 | 0.112 | अनुसूची | |
| 888 | 0.143 | (1) भूमि का वर्णन— | |
| 889 | 0.118 | (क) जिला—रीवा | |
| 891/1, 891/2 | 0.006 | (ख) तहसील—रायपुर कचुलियान | |
| 890 | 0.129 | (ग) ग्राम—पड़रिया 361 | |
| 892 | 0.003 | (घ) लगभग क्षेत्रफल —4.422 हेक्टेयर. | |
| 846 | 0.099 | खसरा नं. अर्जित रकबा | |
| 847 | 0.058 | (हे. में) | |
| 848 | 0.095 | (1) (2) | |
| 849 | 0.188 | अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 850/1, 850/2, 850/3, | 0.003 | 918 | 0.144 |
| 850/4, 850/5, 850/6, | | 919 | 0.044 |
| 850/7 | | | |
| 834/1, 834/2, | 0.009 | | |
| 834/3, 834/4 | | | |
| 827 | 0.388 | | |
| 793 | 0.147 | | |
| 792 | 0.009 | | |
| 791 | 0.179 | | |
| 790 | 0.148 | | |
| 788 | 0.033 | | |
| 786 | 0.111 | | |
| 787 | 0.014 | | |
| 789/1, 789/2 | 0.011 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------------------|-------|---|-------|
| 920 | 0.162 | 307 | 0.012 |
| 1297/1, 1297/2 | 0.226 | 306 | 0.008 |
| 1296 | 0.090 | 305 | 0.049 |
| 928 | 0.051 | 304 | 0.043 |
| 1295 | 0.030 | 302/1, 302/2 | 0.116 |
| 930 | 0.108 | 298 | 0.067 |
| 931/1, 931/2, 931/3 | 0.082 | 299/1, 299/2 | 0.141 |
| 941 | 0.005 | 300 | 0.057 |
| 932 | 0.001 | 287/1, 287/2 | 0.071 |
| 939 | 0.118 | 286/1, 286/2 | 0.029 |
| 940 | 0.001 | 294/1, 294/2 | 0.523 |
| 938 | 0.065 | 14/1, 14/2 | 0.023 |
| 937 | 0.025 | 10 | 0.006 |
| 935 | 0.068 | 9 | 0.216 |
| 936 | 0.020 | 16 | 0.137 |
| 944 | 0.229 | 15 | 0.070 |
| 811/1, 811/2 | 0.011 | 6 | 0.028 |
| 812/1, 812/2 | 0.133 | 5 | 0.032 |
| 810 | 0.007 | 4 | 0.032 |
| 813/1, 813/2 | 0.153 | 2 | 0.031 |
| 813/3, 813/4 | | 7 | 0.016 |
| 814 | 0.071 | 3 | 0.034 |
| 815/1, 815/2, | 0.119 | 1 | 0.056 |
| 815/3, 815/4, 815/5 | | 8 | 0.001 |
| 798 | 0.015 | अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 4.422 | |
| 804 | 0.016 | ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| 791/1, 791/2 | 0.014 | म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000 | |
| 792 | 0.007 | अ+ब का योग . . . 4.422 | |
| 790/1, 790/2 | 0.030 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती | |
| 793 | 0.188 | मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली | |
| 772 | 0.066 | निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. | |
| 794 | 0.014 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं | |
| 771 | 0.038 | पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया | |
| 767 | 0.002 | जा सकता है. | |
| 768 | 0.034 | पत्र क्र. 1264-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन | |
| 769 | 0.080 | को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के | |
| 770 | 0.004 | पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित | |
| 765/1, 765/2 | 0.152 | भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन | |
| 762 | 0.001 | | |

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कचुलियान

(ग) ग्राम—बरेही 400

(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.085 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|-------|
| 1330 | 0.038 | 1123 | 0.020 |
| 1329 | 0.249 | 1125/1, 1125/2, 1125/3 | 0.018 |
| 1307 | 0.034 | 1126/1, 1126/2, 1126/3 | 0.146 |
| 1308 | 0.090 | 1127/1, 1127/2, | 0.067 |
| 1328 | 0.004 | 1127/3, 1127/4 | |
| 1313 | 0.213 | 1129 | 0.033 |
| 1314 | 0.010 | 1130 | 0.205 |
| 1315 | 0.302 | 604 | 0.086 |
| 1316 | 0.025 | 1131 | 0.048 |
| 1322/1, 1322/2 | 0.131 | 1141 | 0.125 |
| 1321/1, 1321/2 | 0.032 | 603/1, 603/2 | 0.001 |
| 1320 | 0.174 | 1142 | 0.106 |
| 1291/1, 1291/2 | 0.024 | 1148 | 0.018 |
| 1292/1, 1292/2 | 0.230 | 1150/1, 1150/2 | 0.007 |
| 1293 | 0.006 | 1147 | 0.084 |
| 1270 | 0.002 | 1151/1, 1151/2 | 0.029 |
| 978 | 0.209 | 1146 | 0.245 |
| 979 | 0.023 | 1153 | 0.001 |
| 980 | 0.209 | 1154 | 0.376 |
| 982 | 0.165 | 1159 | 0.031 |
| 983 | 0.015 | 1163 | 0.139 |
| 981 | 0.007 | 1195 | 0.005 |
| 984 | 0.067 | 1194 | 0.014 |
| 985 | 0.245 | 1193 | 0.027 |
| 986/1, 986/2, | 0.089 | 1192 | 0.099 |
| 986/3, 986/4 | | 1190 | 0.122 |
| 1063 | 0.058 | 1189/1, 1189/2, 1189/3 | 0.004 |
| 1061 | 0.110 | 1184/1, 1184/2, 1184/3, | 0.185 |
| 1062 | 0.096 | 1184/4, 1184/5, 1184/6, | |
| 1060 | 0.038 | 1184/7, 1184/8, 1184/9 | |
| 1084 | 0.205 | 1183/1, 1183/2 | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--|
| (1) | (2) | | |
| 1182 | 0.164 | | |
| 1209 | 0.030 | | |
| 1208 | 0.164 | | |
| 1210/1 | 0.263 | | |
| 1210/2 | | | |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . | | 7.024 | |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | | | |
| 1160 | 0.061 | | |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . | | 0.061 | |
| अ+ब का योग . . | | 7.085 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1266-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—सुरसा कला 609
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.909 हेक्टेयर.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 970 | 0.049 |
| 955/1/क, 955/1/ख, | 0.716 |
| 955/2, 955/3 | |
| 950 | 0.129 |
| 951/1, 951/2 | 0.607 |
| 930/1, 930/2 | 0.192 |
| 929/1, 929/2 | 0.220 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--|
| (1) | (2) | | |
| 928 | 0.146 | | |
| 927/1, 927/2 | 0.110 | | |
| 924 | 0.174 | | |
| 925/1, 925/2 | 0.004 | | |
| 923 | 0.103 | | |
| 922 | 0.106 | | |
| 921 | 0.023 | | |
| 919/1/क, 919/1/ख, 919/2 | 0.145 | | |
| 917 | 0.078 | | |
| 918 | 0.107 | | |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . | | 2.909 | |

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|---------------------------------|-------|
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . | 0.000 |
| अ+ब का योग . . | 2.909 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1268-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—बुड़वा 442
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.947 हेक्टेयर.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 710/1, 710/2, | 0.229 |
| 710/3, 710/4 | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|----------------------|-------|---------------------|-------|
| 688/1, 688/2 | 0.038 | 123/1, 123/2 | 0.009 |
| 689/1, 689/2 | 0.115 | 165/1, 165/2 | 0.057 |
| 687 | 0.001 | 166 | 0.196 |
| 684 | 0.129 | 156 | 0.049 |
| 690/1, 690/2 | 0.018 | 155 | 0.027 |
| 691 | 0.105 | 154/1, 154/2, 154/3 | 0.035 |
| 692/1, 692/2, | 0.057 | 153 | 0.060 |
| 692/3, 692/4 | | 404 | 0.029 |
| 682 | 0.020 | 403 | 0.026 |
| 341 | 0.200 | 402 | 0.002 |
| 340 | 0.057 | 401 | 0.076 |
| 339/1/क, 339/1/ख, | 0.201 | 399/1, 399/2 | 0.003 |
| 339/1/ग, 339/2/क, | | 400 | 0.004 |
| 339/2/ख, 339/2/ग | | 406 | 0.183 |
| 314/1/क, 314/1/ख, | 0.058 | 456 | 0.024 |
| 314/1/ग, 314/2/क, | | 458/1, 458/2 | 0.098 |
| 314/2/ख, 314/2/ग, | | 455 | 0.012 |
| 315 | 0.081 | 454/1, 454/2, 454/3 | 0.168 |
| 333 | 0.062 | 480 | 0.027 |
| 316/1, 316/2, 316/3 | 0.064 | 479 | 0.267 |
| 256 | 0.005 | 481 | 0.004 |
| 260/1/क, 260/1/ख, | 0.003 | 447 | 0.039 |
| 260/1/ग, 260/2 | | 482/1, 482/2, | 0.115 |
| 261/1/क, 261/1/ख, | 0.206 | 482/3, 482/4 | |
| 261/1/ग, 261/1/घ, | | 483/1, 483/2, | 0.015 |
| 261/2, 261/3 | | 483/3, 483/4 | |
| 266 | 0.162 | 484/1, 484/2, 484/3 | 0.048 |
| 270 | 0.005 | 485/1, 485/2, 485/3 | 0.063 |
| 271 | 0.142 | 486/1, 486/2 | 0.069 |
| 265 | 0.009 | | |
| 273/1, 273/2 | 0.055 | | |
| 272 | 0.018 | | |
| 274 | 0.055 | | |
| 276 | 0.023 | | |
| 275 | 0.047 | | |
| 277 | 0.139 | | |
| 211 | 0.022 | | |
| 199/1, 199/2 | 0.013 | | |
| 200/1, 200/2 | 0.110 | | |
| 198/1, 198/2, 198/3 | 0.189 | | |
| 197 | 0.022 | | |
| 115 | 0.145 | | |
| 113/1, 113/2, 113/3 | 0.064 | | |
| 112 | 0.072 | | |
| 125/1, 125/2, 125/3, | 0.032 | | |
| 125/4, 125/5 | | | |
| 124 | 0.269 | | |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 4.947

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 4.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1270-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—खुझ 133
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.033 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|----------------------|-------|
| 457/1, 457/2, 457/3 | 0.036 |
| 460/1, 460/2, | 0.001 |
| 460/3, 460/4, | |
| 460/5 | |
| 458 | 0.193 |
| 459 | 0.151 |
| 475/1, 475/2, 475/3, | 0.204 |
| 475/4 | |
| 461/1, 461/2, 461/3, | 0.019 |
| 461/4 | |
| 766 | 0.006 |
| 765 | 0.077 |
| 763 | 0.184 |
| 764 | 0.013 |
| 760 | 0.032 |
| 761 | 0.089 |
| 762/1, 762/2 | 0.090 |
| 731 | 0.164 |
| 730 | 0.100 |
| 729 | 0.105 |
| 732 | 0.123 |
| 725 | 0.162 |
| 724 | 0.030 |
| 733/1, 733/2, | 0.015 |
| 733/3, 733/4 | |
| 734/1, 734/2, 734/3, | 0.201 |
| 734/4, 734/5, 734/6, | |
| 734/7, 734/8 | |
| 745 | 0.001 |
| 744/1, 744/2 | 0.175 |

(1) (2)

| | |
|---------------------|-------|
| 743/1, 743/2 | 0.279 |
| 742 | 0.003 |
| 746 | 0.258 |
| 748 | 0.025 |
| 749/1, 749/2, 749/3 | 0.239 |
| 755/1, 755/2, 755/3 | 0.001 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.976

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 477 | 0.057 |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . | 0.057 |
| अ+ब का योग . . . | 3.033 |

- (3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1272-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—रोर 562
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.918 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|------------------------|-------|
| 16 | 0.255 |
| 13 | 0.024 |
| 12 | 0.291 |
| 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 | 0.079 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 4/1, 4/2, 4/3 | 0.053 | 159/1/1, 159/1/2, 159/2/2 | 0.045 |
| 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 | 0.094 | 159/3/1, 159/3/2 | |
| 9 | 0.188 | 129/1/1, 129/1/2, | 0.202 |
| 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 | 0.798 | 129/2/1, 129/2/2, | |
| 8 | 0.066 | 149 | 0.088 |
| 50/1, 50/2 | 0.001 | 131 | 0.018 |
| 52/1, 52/2 | 0.006 | 132/1, 132/2, | 0.268 |
| 33/1, 33/2 | 0.063 | 132/3, 132/4 | |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . | 1.918 | 144 | 0076 |
| | | 143 | 0.002 |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | | 133/1, 133/2 | 0.005 |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . | 0.000 | 137 | 0.041 |
| अ+ब का योग . . . | 1.918 | 136 | 0.139 |
| | | 134 | 0.014 |
| | | 135 | 0.153 |
| | | अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . | 1.511 |
| | | ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| | | 157 | 0.055 |
| | | 156 | 0.060 |
| | | 155 | 0.050 |
| | | म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . | 0.165 |
| | | अ+ब का योग . . . | 1.676 |

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.511

ब—म. प्र. शासन की भूमि

157 0.055

156 0.060

155 0.050

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.165

अ+ब का योग . . . 1.676

पत्र क्र. 1274-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—रामनई 548

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.676 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

160/1/1, 160/1/2

160/2, 160/3, 160/4

0.460

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1276-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

| (ग) ग्राम—कोर्लेया 107 | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| (घ) लगभग क्षेत्रफल —2.488 हेक्टेयर. | |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 266 | 0.142 |
| 257 | 0.108 |
| 279 | 0.071 |
| 280 | 0.033 |
| 281 | 0.244 |
| 283 | 0.036 |
| 289 | 0.017 |
| 288 | 0.012 |
| 286 | 0.151 |
| 287 | 0.014 |
| 234/1, 234/2 | 0.145 |
| 230/1, 230/2 | 0.025 |
| 229/1, 229/2 | 0.095 |
| 231 | 0.001 |
| 227 | 0.253 |
| 226/1, 226/2 | 0.018 |
| 225/1क, 225/1ख, 225/2 | 0.064 |
| 224/1, 224/2 | 0.015 |
| 223 | 0.099 |
| 221/1, 221/2 | 0.094 |
| 218 | 0.024 |
| 196 | 0.001 |
| 201 | 0.014 |
| 202 | 0.135 |
| 210 | 0.004 |
| 203 | 0.057 |
| 209 | 0.022 |
| 204 | 0.059 |
| 193 | 0.024 |
| 192 | 0.013 |
| 205 | 0.056 |
| 206 | 0.001 |
| 190 | 0.087 |
| 189 | 0.049 |
| 188 | 0.050 |
| 187 | 0.049 |
| 181/1,181/2,181/3,181/4 | 0.135 |
| 180/1,180/2,180/3,180/4 | 0.022 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . | 2.419 |

| (1) | (2) |
|---------------------------------|-------|
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| 290 | 0.016 |
| 285 | 0.021 |
| 228 | 0.005 |
| 219 | 0.012 |
| 220 | 0.012 |
| 222 | 0.003 |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . | 0.069 |
| अ+ब का योग . . | 2.488 |

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1278-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—पुरास 382
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.894 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 234 | 0.112 |
| 233 | 0.065 |
| 238/1, 238/2 | 0.082 |
| 239 | 0.034 |
| 228 | 0.029 |
| 240 | 0.031 |
| 226 | 0.048 |

| | | |
|--|-------|--|
| (1) | (2) | मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. |
| 225 | 0.052 | |
| 224 | 0.032 | |
| 223 | 0.035 | (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. |
| 221 | 0.031 | |
| 220 | 0.097 | |
| 218/1/1, 218/1/2 | 0.112 | |
| 218/2, 218/3 | | |
| 290 | 0.006 | पत्र क्र. 1280-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— |
| 191/1, 191/2, 191/3, | 0.099 | |
| 191/4क, 191/4ख | | |
| 291 | 0.026 | |
| 189 | 0.050 | |
| 188 | 0.033 | |
| 187 | 0.017 | |
| 294 | 0.103 | |
| 295/1, 295/2, | 0.123 | अनुसूची |
| 295/3, 295/4 | | (1) भूमि का वर्णन— |
| 296/1, 296/2 | 0.009 | (क) जिला—रीवा |
| 312 | 0.040 | (ख) तहसील—गुढ़ |
| 311 | 0.088 | (ग) ग्राम—खजुहा खुर्द 118 |
| 169/1, 169/2, | 0.021 | (घ) लगभग क्षेत्रफल —2.627 हेक्टेयर. |
| 169/3, 169/4 | | |
| 168/1, 168/2 | 0.060 | खसरा नं. |
| 313 | 0.028 | अर्जित रकबा |
| 314 | 0.013 | (हे. में) |
| 162/1, 162/2, 162/3 | 0.063 | (1) |
| 161/1, 161/2, 161/3 | 0.067 | (2) |
| 159/1, 159/2 | 0.059 | अ—निजी पट्टे की भूमि |
| 158/1/क, 158/1/ख, | 0.030 | 1099 |
| 158/2, 158/3 | | 1098 |
| 156 | 0.034 | 1097 |
| 149 | 0.022 | 1092 |
| 148 | 0.057 | 1093 |
| 157/1, 157/2 | 0.003 | 1096 |
| 145 | 0.004 | 1095 |
| 146/1, 146/2 | 0.032 | 1094 |
| 147 | 0.040 | 1114 |
| 150 | 0.009 | 1115 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . | 1.894 | 1116 |
| | | 1119 |
| | | 1118 |
| | | 1121 |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | | 1051/1/क |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . | 0.000 | 1051/1/ख |
| अ+ब का योग . . . | 1.894 | 1051/2 |
| (3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती | | |

| (1) | (2) | (ग) ग्राम—टेपरो 226 | (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.735 हेक्टेयर. |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1050/1/क | | खसरा नं. | अर्जित रकबा |
| 1050/1/ख | 0.450 | | (हे. में) |
| 1050/2 | | (1) | (2) |
| 1049/1/क | | अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1049/1/ख | 0.072 | 208/1, 208/2, 208/3 | 0.216 |
| 1049/2 | | 209/1, 209/2, 209/3 | 0.062 |
| 970/1/1 | | 207 | 0.078 |
| 970/1/2 | 0.180 | 190/1/क, 190/1/ख, | |
| 970/2 | | 190/1/ग, 190/1/घ | 0.082 |
| 971 | 0.131 | 190/2, 190/3, | |
| 988/1/क, 988/1/ख | 0.312 | 190/4, 190/5 | |
| 988/2, 988/3 | | 206 | 0.134 |
| 987 | 0.164 | 205 | 0.116 |
| 989/1, 989/2 | 0.061 | 204 | 0.124 |
| 991 | 0.111 | 200 | 0.297 |
| 993 | 0.249 | 194 | 0.183 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . | 2.627 | 199 | 0.019 |
| | | 198 | 0.104 |
| | | 197/1, 197/2 | 0.315 |
| | | 196/1, 196/2 | 0.005 |
| | | अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . | 1.735 |

ब—म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000
अ+ब का योग . 2.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1282-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

ब—म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000
अ+ब का योग . 1.735

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1284-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—भलुही 467

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.486 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|---------------------|-------|
| 389/1, 389/2, | 0.352 |
| 389/3, 389/4 | |
| 384/1, 384/2, 384/3 | 0.021 |
| 300/1, 300/2 | 0.270 |
| 385 | 0.007 |
| 301 | 0.072 |
| 302 | 0.240 |
| 303 | 0.065 |
| 264 | 0.011 |
| 262/1, 262/2 | 0.031 |
| 263 | 0.176 |
| 337 | 0.060 |
| 306/1, 306/2 | 0.147 |
| 307/1, 307/2, | 0.143 |
| 307/3, 307/4 | |
| 311 | 0.001 |
| 309 | 0.013 |
| 308 | 0.106 |
| 331/1, 331/2, 331/3 | 0.058 |
| 323 | 0.001 |
| 325 | 0.116 |
| 330/1, 330/2, 330/3 | 0.029 |
| 327 | 0.265 |
| 20 | 0.084 |
| 21 | 0.039 |
| 24/1, 24/2 | 0.001 |
| 326 | 0.003 |
| 28 | 0.054 |
| 27 | 0.117 |
| 26 | 0.180 |
| 35 | 0.008 |
| 33 | 0.013 |

(1)

(2)

36/1, 36/2

0.009

37/1, 37/2

0.096

38/1, 38/2

0.021

40/1, 40/2, 40/3, 40/4

0.334

39/1, 39/2

0.015

7/1, 7/2

0.101

6/1, 6/2

0.199

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 3.458

ब—म. प्र. शासन की भूमि

305

0.028

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.028

अ+ब का योग . 3.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1286-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—भलुहा 466

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.950 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

807/1, 807/2

0.097

809

0.031

803

0.007

| (1) | (2) |
|-------------------------------------|--------------|
| 802/1, 802/2 | 0.164 |
| 801/1, 801/2 | 0.129 |
| 799 | 0.238 |
| 800 | 0.083 |
| 834/1, 834/2, | 0.020 |
| 834/3, 834/4 | |
| 839 | 0.019 |
| 840 | 0.008 |
| 837 | 0.144 |
| 1020/838 | 0.176 |
| 902 | 0.002 |
| 901 | 0.049 |
| 900 | 0.031 |
| 903 | 0.029 |
| 897 | 0.057 |
| 153/1, 153/2 | 0.162 |
| 154/1, 154/2 | 0.125 |
| 162/1, 162/2, 162/3 | 0.004 |
| 152/1, 152/2 | 0.415 |
| 917 | 0.177 |
| 918/1, 918/2 | 0.025 |
| 144 | 0.095 |
| 143/1, 143/2, 143/3 | 0.040 |
| 145 | 0.085 |
| 146 | 0.136 |
| 142 | 0.004 |
| 141 | 0.048 |
| 134 | 0.020 |
| 140 | 0.048 |
| 135 | 0.022 |
| 136 | 0.118 |
| 899 | 0.001 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग | 2.809 |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| 894 | 0.012 |
| 913 | 0.035 |
| 912 | 0.026 |
| 914 | 0.068 |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग | 0.141 |
| अ+ब का योग | 2.950 |

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1288-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—रायपुर 549
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.597 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| अ—निजी पट्टे की भूमि | |
| 1406 | 0.167 |
| 1411 | 0.025 |
| 1407 | 0.408 |
| 1410 | 0.166 |
| 1409 | 0.134 |
| 1408 | 0.114 |
| 1400 | 0.047 |
| 1398 | 0.043 |
| 1397 | 0.320 |
| 1394/1, 1394/2 | 0.002 |
| 1396/1, 1396/2 | 0.028 |
| 1395/1, 1395/2 | 0.175 |
| 1240/1, 1240/2 | 0.638 |
| 1238 | 0.022 |
| 1239 | 0.004 |
| 1236 | 0.003 |
| 1237 | 0.259 |
| 1229 | 0.0384 |
| 1227/1, 1227/2 | 0.013 |
| 1228 | 0.140 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—पुरवा 381
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.286 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

53/1, 53/2 53/3, 53/4 0.101

52 0.087

51/1, 51/2, 51/3 0.083

49 0.072

47 0.077

45 0.013

46/1, 46/2 0.072

44/1, 44/2, 44/3 0.074

43 0.086

42/1, 42/2, 42/3, 42/4 0.081

38 0.124

35 0.122

31 0.143

18/1, 18/2 0.149

19 0.002

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 1.286

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . 1.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1290-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

पत्र क्र. 1292-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—पतौता 337
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.367 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1) | (2) |

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|----|-------|
| 15 | 0.103 |
| 16 | 0.060 |
| 14 | 0.027 |
| 13 | 0.017 |
| 1 | 0.160 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.367

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . 0.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1294-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—ऐतला 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.357 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|---------------|-------|
| 3/1, 3/2 | 0.676 |
| 2/1, 2/2 | 0.058 |
| 16/1, 16/2 | 0.043 |
| 1/1, 1/2, 1/3 | 0.361 |
| 17/1, 17/2 | 0.156 |
| 18/1, 18/2 | 0.063 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.357

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . 1.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1296-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—बकछेरा 405
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.683 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|------|-------|
| 1281 | 0.204 |
| 1282 | 0.038 |
| 1027 | 0.021 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 1280 | 0.033 |
| 1028 | 0.146 |
| 1035 | 0.007 |
| 1277 | 0.002 |
| 1036 | 0.166 |
| 1274/1, 1274/2 | 0.016 |
| 1596/1061 | 0.045 |
| 1061 | 0.089 |
| 1060/1, 1060/2 | 0.116 |
| 1040 | 0.003 |
| 1059 | 0.055 |
| 1057 | 0.117 |
| 1056 | 0.098 |
| 1055 | 0.168 |
| 1053/1, 1053/2 | 0.022 |
| 1054 | 0.019 |
| 1072 | 0.004 |
| 1075 | 0.543 |
| 1083 | 0.106 |
| 782 | 0.026 |
| 781 | 0.114 |
| 1087 | 0.002 |
| 780 | 0.088 |
| 783 | 0.116 |
| 774/1, 774/2 | 0.129 |
| 758 | 0.023 |
| 760/1, 760/2 | 0.049 |
| 763/1, 763/2, 763/3 | 0.097 |
| 796 | 0.001 |
| अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . | 2.663 |
| ब—म. प्र. शासन की भूमि | |
| 1024 | 0.008 |
| 779 | 0.012 |
| म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . | 0.020 |
| अ+ब का योग . . . | 2.683 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1298-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलिया
(ग) ग्राम—पहाड़िया 365
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.030 हेक्टेयर.

| | |
|----------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 344 | 0.021 |
| 325 | 0.014 |
| 29 | 0.219 |
| 329 | 0.405 |
| 343 | 0.083 |
| 341 | 0.021 |
| 342 | 0.100 |
| 336 | 0.019 |
| 334 | 0.074 |
| 333 | 0.001 |
| 335 | 0.072 |
| 338 | 0.001 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.030

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 1.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1300-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—पटना 329
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.193 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)
(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-------------------------|-------|
| 740/1, 740/2, 740/3 | 0.140 |
| 739 | 0.003 |
| 738 | 0.062 |
| 743/1, 743/2, 743/3 | 0.075 |
| 737 | 0.089 |
| 744 | 0.084 |
| 745/1, 745/2 | 0.190 |
| 716 | 0.084 |
| 746 | 0.108 |
| 712 | 0.083 |
| 747 | 0.015 |
| 711 | 0.174 |
| 749 | 0.004 |
| 695 | 0.049 |
| 696 | 0.008 |
| 694 | 0.054 |
| 692/1/क, 692/1/ख | |
| 692/1/ग/1, 692/1/ग/2, | 0.186 |
| 692/1/घ, 692/2, 692/2/ख | |
| 692/3 | |
| 689 | 0.015 |
| 690 | 0.081 |
| 688 | 0.075 |
| 687 | 0.075 |
| 686 | 0.059 |
| 685 | 0.055 |

| | |
|-------------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 525/1, 525/2 | 0.271 |
| 710 | 0.001 |
| 268 | 0.046 |
| 273/1, 273/2 | 0.150 |
| 289/1, 289/2 | 0.160 |
| 288/1/1, 288/1/2, | |
| 288/1/3, 288/1/4, | 0.105 |
| 288/1/5, 288/1/6, 288/2 | |
| 279 | 0.033 |
| 280 | 0.099 |
| 281 | 0.055 |
| 283 | 0.153 |
| 226 | 0.031 |
| 225 | 0.021 |
| 296/1, 296/2, 296/3 | 0.231 |
| 300 | 0.019 |
| 301/1, 301/2 | 0.004 |
| 297/1, 297/2 | 0.005 |
| 298 | 0.058 |
| 306 | 0.031 |
| 307/1, 307/2 | 0.013 |
| 308/1, 308/2 | 0.004 |
| 309 | 0.064 |
| 310 | 0.138 |
| 311 | 0.067 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 3.527

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 760 | 0.075 |
| 528 | 0.085 |
| 526 | 0.058 |
| 524 | 0.011 |
| 523 | 0.436 |
| 522 | 0.001 |

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.666

अ+ब का योग . 4.193

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1302-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—सिरखिनी 596
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.300 हेक्टेयर.

| | |
|----------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|

| | |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|----------------------------|-------|
| 353 | 0.121 |
| 352/1, 352/2 | 0.015 |
| 354 | 0.031 |
| 355 | 0.077 |
| 341 | 0.337 |
| 337 | 0.006 |
| 343/1, 343/2, 343/3 | 0.017 |
| 335/1, 335/1/क, | 0.330 |
| 335/2, 335/3 | |
| 333 | 0.091 |
| 334 | 0.038 |
| 332/1, 332/1/क, | 0.175 |
| 332/2, 332/3, 332/4 | |
| 330/1, 330/2, 330/3, 330/4 | 0.060 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.298

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-------|-------|
| 0.186 | 0.002 |
|-------|-------|

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.002

अ+ब का योग . . . 1.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1304-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुड
(ग) ग्राम—गेरूआरी 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.523 हेक्टेयर.

| | |
|----------|--------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|--------------------------|

| | |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|--------------|-------|
| 109/1, 109/2 | 0.248 |
| 110/1, 110/2 | 0.037 |
| 111 | 0.048 |
| 112 | 0.348 |
| 107 | 0.003 |
| 117 | 0.608 |
| 118 | 0.027 |
| 119 | 0.033 |
| 120 | 0.002 |
| 121 | 0.005 |
| 122 | 0.007 |
| 123 | 0.020 |
| 150 | 0.039 |
| 192 | 0.267 |
| 191 | 0.015 |
| 189 | 0.015 |
| 190 | 0.019 |
| 188 | 0.277 |
| 199 | 0.016 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.034

ब—म. प्र. शासन की भूमि

| | |
|-----|-------|
| 157 | 0.032 |
| 158 | 0.457 |

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.489

अ+ब का योग . . . 2.523

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1306-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—गोरगांव 164

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.808 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

| | |
|-----------------|-------|
| 1631 | 0.001 |
| 1622 | 0.042 |
| 1621 | 0.008 |
| 1620 | 0.036 |
| 1619 | 0.005 |
| 1624 | 0.143 |
| 1623 | 0.002 |
| 1625 | 0.009 |
| 1627/1, 1627/2, | 0.141 |
| 1627/3, 1627/4, | |
| 1627/5 | |
| 1603 | 0.044 |
| 1522 | 0.123 |
| 1521 | 0.010 |
| 1523 | 0.098 |
| 1524 | 0.023 |
| 1525 | 0.134 |
| 1526 | 0.040 |
| 1527 | 0.130 |
| 1528/1, 1528/2 | 0.018 |
| 1545 | 0.202 |
| 1544 | 0.001 |
| 1546 | 0.022 |
| 1547/1, 1547/2 | 0.265 |

(1) (2)

| | |
|-----------------|-------|
| 1548 | 0.001 |
| 1549 | 0.390 |
| 1439 | 0.029 |
| 1435 | 0.049 |
| 1440 | 0.187 |
| 1441 | 0.308 |
| 1413 | 0.015 |
| 1442 | 0.016 |
| 1412/1, 1412/2 | 0.189 |
| 1411 | 0.035 |
| 1396/1, 1396/2, | 0.099 |
| 1396/3, 1396/4 | |
| 1399 | 0.023 |
| 1398 | 0.077 |
| 1397 | 0.126 |
| 1391 | 0.032 |
| 1389/1, 1389/2 | 0.157 |
| 1387 | 0.034 |
| 1386 | 0.044 |
| 1384 | 0.009 |
| 1385 | 0.074 |
| 1373/1, 1373/2 | 0.176 |
| 1374/1, 1374/2 | 0.006 |
| 1375 | 0.002 |
| 1370 | 0.110 |
| 1368 | 0.057 |
| 1366 | 0.048 |
| 1183 | 0.004 |
| 1182 | 0.014 |

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 3.808

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 3.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 मई 2015

क्र. A-1772-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री एस. के. साहा, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 182 दिवस (एक सौ बयासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार

गणना-पत्रक

- श्री एस. के. साहा, सेवानिवृत्त : 23-06-1980
रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय
मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-04-2015
- नियुक्ति दिनांक 23-06-1980 : 6 वर्ष 8 माह
से दिनांक 09-03-1987 तक
कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-3-1987 से : 28 वर्ष 1 माह
सेवानिवृत्ति दिनांक तक
कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित : 6 × 15 = 90 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(1 वर्ष में 15 दिन
की दर से).
- कालम (4) में अंकित : 28 = 14 × 15 = 210
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की
दर से)

7. कुल अर्जित अवकाश : 300 दिन
समर्पण की पात्रता.

8. घटाईये:—सेवा के दौरान : 118 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 182 दिन
अवकाश समर्पण की
पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2015 को शेष अर्जित अवकाश 240+10 दिन).

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 मई 2015

क्र. D-2323-दो-2-38-2014.—श्री बी. के. जाटव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 13 से 18 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 के एवं पश्चात में दिनांक 19 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2325-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 30 मार्च से 01 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 2 एवं 03 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2340-दो-2-38-2011.—श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 07 से 10 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2342-दो-3-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 04 अप्रैल 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 एवं 03 अप्रैल 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 05 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 मई 2015

क्र. 440-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री विजय मालवीय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को, उनके कार्य के अतिरिक्त,

अशोकनगर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री विजय मालवीय को अशोकनगर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री विजय मालवीय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्र. 442-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015-(भाग-ए).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 428-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए), दिनांक 01 मई, 2015, जहां तक, इसका संबंध क्रमशः—

1. श्री राजेश नन्देश्वर, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल का, भोपाल से जीरापुर, जिला राजगढ़,
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन का, उज्जैन से लौण्डी, जिला छतरपुर.

स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 मई 2015

क्र. 430-तीन-10-42-75(रायसेन-बरेली).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री विजय चंद्रा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन अपने घोषित कार्यस्थल रायसेन के अतिरिक्त बरेली में भी प्रत्येक माह 15 (पंद्रह) दिवस (1 से 15 तक), वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No. 430-III-10-42-75 (Raisen-Bareli).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Vijay Chandra IIIrd Addl. Distt. & Session Judge, Raisen in addition to his place of sitting declared at Raisen shall also sit at Bareli for 15 (Fifteen) days in each month (from 1st to 15th), for holding of Link Court there.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, ओ. एस. डी. (डी. ई.).

जबलपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्र. 465-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

| क्र. | नाम | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|------|--------------------|-----------|---------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री भूभास्कर यादव | वारासिवनी | लौण्डी | छतरपुर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

क्र. 466-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

| क्र. | नाम | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
|------|-------------------------|---------|---------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री चन्द्रशेखर जायसवाल | पोहरी | जीरापुर | राजगढ़ | व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.